36/0008

WOMEN WORKERS AND TRADE UNIONS

A.B.Bardhan
General Secretary, AITUC

The need to organise the women workers and draw them into the trade union fold, has become, both a self-evident and an urgent task. It is this that has prompted the AITUC to hold a 'Working Women's Convention' in Delhi, confined to Delhi and the neighbouring states. Thereafter, similar conventions will be organised in the eastern, western, and southern zones. A few months back, the All India Bank Employees' Association held an All India convention of women bank employees. It was a highly successful move, and was followed up by a number of local and regional conventions. Women bank employees are in the well-paid category, and come from the middle class. The need however is to go down to lower social and grass-root levels, for it is there we find most of the women workers.

This is easier said than done, for it requires motivating several hundred women trade union activists. The situation is hopeful, for, after a period of lull, when women activists were hard to find, we see a tremendous upsurge, - an urge among young women to do something, for their sex, for society as a whole. Women activists in non-govermental organisations is a common feature today. We have to draw the best among them towards trade union work, for it is here, the battle against both social and economic exploitation of women--as women and as workers, will be fought in the coming days.

The AITUC is currently observing its 75th Anniversary. As the oldest central trade union organisation, it has to look back and see what role women played in the trade union movement. To be frank, the balance sheet is not very impressive. There has been gross neglect in unionising women workers, training cadres from among the best of them, building up a stable chain of leadership of women trade unionsts.

Of course, seven and more decades of the trade union movement in India have seen a number of outstanding women leaders. Their contribution cannot be allowed to become forgotten chapters in history. The present and succeeding generations must know about them, and draw inspiration from them. Their legacy is the common heritage of the entire trade union movement. It is for this reason, the AITUC has brought out a booklet on the role of these 'Trail Blazing Women Trade Unionists of India', though admittadly it is very incomplete and sketchy. These pioneers showed that trade union is not just a man's world. Today, participation of women in economic life and activities is greater than ever before, not merely in traditional fields like agriculture, handloom weaving etc. where they had always been, but also in modern industries,--in manufacturing, communicatiion and service sectors. This is due to several factors, -- not the least being the economic necessity for both partners in a family to work and earn, as well as the growing social consciousness that women have a role to play which is not confined to the home and the hearth. Let us remember, the impact of poverty, high prices, unemployment and violence is greater on women.

In education and health services, women are today fast coming on par with men and even outstripping them. In banks and offices, they are growing in numbers. In electronics and computer fields, their alertness and subtle skill is recognised.

Women In Political Participation & Decision Making

Amarjeet Kaur, Secretary AITUC

According to the definition of discrimination in the Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against women adopted by the General Assembly in 1979 and inforce since 1981 which is ratified by Government of India only in 1993, "any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or excercise by women, irrespective of their martial status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or other field".

Nairobi forward looking strategies had urged the Governments to

* intensify efforts to ensure equality of partipation by women in the political life of their countries at all levels and in all branches of government;
* take legislative and other measures to eliminate discrimination against women in employment opportunities and create new ones;

take special measures to revise and adapt women ' s education to the realities of the developing world;

* eliminate gender stereotypes and revise the school curricula and training for women, linking them to future employment needs;
* recognize women ' s contributions in agricuiture and secure their access to land, capital, technology and other resources.

In addition to legislation, the Strategies urged that society's formal and informal institutions, including media, educational institutions, political parties, executive bodies and NGOs, be enlisted in the effort to remove obstacles created by stereotypes and social perceptions.

But where do we stand today ? As per the Government paper itself the glaring facts have been placed.

The number of women contestants in parliamentary elections has not increased significantly over the years. Political parties seem uniformly reluctant to field women candidates. The number of seats won by women to the Lok Sabha in 1993 was 35 seats in a House of 504 members and the Rajya Sabha has 28 women in a house of 245. There has indeed been a greater representation of women in the Rajya Sabha, but it is to be noted that this is only by nomination. The pattern is not very different at the State level. The all India total stands at 44 women elected out of 241 women contestants, as against 1486 men out of 8415 male contestants. An in-depth study of women at grassroots level politics reflects a similar trend.

At the national level, there is only one woman senior Minister and six State Ministers in a Cabinet of 74. There are no woman Governors and there are only two woman Chief Ministers out of 25 in the country.

Studies have pointed out that the nature of participation of women has not been spread to all areas of decision making. A study of Prliamentary participation shows that women members have been by and large participated in what is familiarly called " women ' s issues" like health, welfare, sexual atrocities, social crimes like dowry, violation of women rights etc. Even this participation is confined to a few articulate women. Participation in debates on wider economic defence and political issues

fits. The Maternity Benefit Act, Minimum Wages Act; Equal remuneration Act etc. do not really come into implementation, where the unorganised sector women is concerned. Wherever collectives/Unions are able to organise and assert, they benefit and the vast majority is sufferer. The systems of contract, subcontract and sub-sub contract labour makes the worker invisible.

With the thrust of New Economic Policies and structural Adjustment programmes, women is further being marginalised. She is to be further pushed into informal sector. Job Sector may further fix up traditional roles for women. She is becoming the first victim of retrenchment policy. Lack of training and skill would add to this process.

Let us look into her position vis-a-vis trade unions. The major trade unions are strong and better organised in formal sector. They are week in informal sector and have not paid sufficient attention to organise these workers. Women workers being vast majority in this sector are thus deprived of proper organisation.

During actions, agitations, dharnas, processions, women will be seen as mobilised in large numbers. This is true of both sectors formal/informal. But when it comes to leadership, decision making positions within trade unions; they are very poorly represented and sometimes not there at all. The gender bias is very much visible. At the top level in the Central Trade Unions, you hardly find women leaders. Only to name one or two in a team of 50 or so in the national executives of the Central trade unions. Similar situation prevails in the State bodies and the Sector based or Industrial based trade unions. That percolates to the grass-root units.

The history of trade unionism in India shows that the women, who forced themselves into trade Union activities on their own, had proved to be most sincere and dedicated fighters of workers rights. But they were exceptions. The Trade Unions themselves failed to make efforts to train them and bring them to the decision making positions. There was resistance, the prevailing social and political atmosphere which is gender biased continues to be in action against women in trade unions as well.

Their problem agendas could not be serious trade Union Agendas. Overall general economic demands and social security issues of workers were the major thrust of Trade Union activities. But the specific difficulties at work place, at home, on the way for the women workers were not a serious matter of discussions in trade union forums. Whenever it came to discussion, it was not matter of so-serious a concern that it could become agenda for frontal activities. This all was due to male oriented Trade Unionism, where women are not there in the decision making to push their concerns and agendas.

To enhance women's participation in Trade Unions, the flexibilities of forms of activities, timings of meetings, the issues of their concerns etc. need to be considered. Only when they are better organised in Trade Unions and are in decisions making bodies, they could force through the fight against NEP and SAP wherever it is negatively affecting women workers.

Once again, it becomes necessary to realise that for her to be an active trade unionist, the supportive structure in the family and outside is necessary for her to spare time for the activities. The state and community must relieve her of the multiple burden by providing social support systems for health, family planning, education, child care and the care of the elderly.

Taking into account of cultural and social environment of our country, it will be better strategy to unionise women workers. They as women workers should be organised within their trade unions with their specific concerns, to act as pressure groups in their Trade Union 's to force their agendas.

Again one needs to emphasise that overall value system needs to be changed to

Elsewhere, where low wages, high working hours, absence of social security and harsh exploitation is the rule, women are in significant numbers. In agriculture they work separately, though it is a back-breaking toil. In the fast growing garment industry, their number is swelling. There are no regulations which really govern this sweated industry. We find them in the constructions industry doing all the heavy unskilled work. Alongside, they have their suckling or crawling kids, exposed to all the hazards. We find young girls, not yet out of their teens, engaged in 'free trade zones', behind barbed wires, out of reach from 'pernicious' trade union influence.

In social welfare work, like family and child care, they are engaged on a mere pittance as allowance. We have the case of the Anganwadi women workers, who had to fight a long battle to get their allowance of less than Rs. 100 or so raised to a 'princely sum' of Rs 300 or so ! The trick is to call them 'part time' or 'voluntary' workers, and refuse to term their emolument as a 'wage'. There is a category of bare-footed health workers (all women), who get only Rs 50 per month for supplying patent medicines to villagers. One can go on adding to this list. Capitalist society and its rule, operating on the 'free market' philosophy, feels no twinge of conscience in shamelessly exploiting cheap female labour.

Considering all the above, increasing participation of women in trade unions is an obligatory task. Trade unionsm cannot expand and act as a social transforming force, without unionising women workers.

No social upheaval or revolution worth the name, is possible without the female ferment, for it is the female element which goes to the root of all social life and problems. When women are roused to action they make a thorough job of it. Otherwise, they can continue to be the repositories of conservative traditionalism. Equal participation of women along with men, is a condition of social progress. Trade unions have to promote this in practice.

Unfortunately, trade unions like other social institutions today, are also victims of and reflect a male dominated society. We accept the role of women workers in the mass in strikes, demonstrations, ralles, etc. We even put them in the forefront during such actions, but we deny them positions of leadership. There is a feeling shared by many, that due to several limitations they cannot exercise such leadership. This has been disproved several times in the past, not only in the trade union field, but elsewhere too. May be, many of these women leaders were exceptional personalities. But exceptional and outstanding personalities emerge from a substratum of the average persons.

For all this, we require a large number of trained women activists and organisers. They have to be given the facility and the opportunity to grow. They have to be coopted into committees on the basis of their training and merit, so that even their male colleagues accept them and treat them with respect. One must be sensitive to women's self respect and show appreciation of their special problems. There has to be a change in the social attitudes of men, of our male organisers and leaders. It is a two-way process.

Let us hope that the working women's conventions will pave the way. As for the AITUC it is committed to the aim of drawing women in large numbers within the trade unions, and of promoting them to positions of leadership.

8 March–International Women's Day

International Women's Day (8 March) is not only an occasion marked by women's groups around the world. This date is also commemorated at the United Nations and is designated in many countries as a national holiday. When women on all continents, often divided by ethnic, linguistic, cultural, economic and political differences, come together to celebrate their day, they can look back to a tradition that represents almost a century of struggle for equality, justice, peace and development.

International Women's Day is the story of ordinary women as makers of history; it is rooted in the centuries-old struggle of women to participate in society and social change on an equal footing with men. In ancient Greece, Lysistrata initiated a sexual strike against men in order to end war; during the French Revolution, Parisian women calling for liberty, equality, fraternity" marched on Versailles to demand women's suffrage.

The idea of an International Women's Day first arose at the turn of the century, which in the industrialized world was a period of expansion and turbulence, booming population growth and radical ideologies. Following is a brief chronology of the most important events:

1909: In accordance with a declaration by the Socialist Party of America, the first National Women's Day was observed across the United States on 28 February. Women continued to celebrate it on the last Sunday of that month through 1913.

1910: The Socialist International, meeting in Copenhagen, established a Women's Day, international in character, to honour the movement for women's rights and freedom and to assist in achieving universal sufferage for women. No fixed date was selected.

1911: As a result of the decision taken at Copenhagen the previous year, International Women's Day was marked for the first time (19 March) in Austria, Denmark, Germany and Switzerland, where more than 1 million women and men attended rallies. In addition to the right to vote and to hold public office, they demanded the right to work, to vocational training and to an end to discrimination on the job.

Less than a week later, on 25 March, the tragic Triangle Fire in New York City took the lives of more than 140 working girls, most of them Italian and Jewish immigrants. This event had a significant impact on labour legislation in the United States, and the working conditions leading up to the disaster were invoked during subsequent celebrations of International Women's Day.

1913-1914: As part of the peace movement brewing on the eve of World War 1, Russian women observed their first International Women's Day on the last Sunday in February, 1913; elsewhere in Europe, on or around 8 March of the following year, women held rallies either to protest the war or to express solidarity with their sisters.

1917: With 2 million Russian soldiers dead in the war, Russian women again chose the last Sunday in February to strike for "bread and peace". Political leaders opposed the timing of the strike, but the women went out anyway, and the rest is history. Four days later, the Czar was forced to abdicate; the provisional Government granted women the right to vote. That historic Sunday fell on 23 February on the Julian calendar in use elsewhere. International Women's Day has usually been celebrated on 8 March ever since.

Since those early years, International Women's Day has assumed a new global dimension for women in developed and developing countries alike. It has become a rallying point for coordinated efforts to demand women's rights and participation in the political process. Increasingly, Women's Day is a time to reflect on progress made, to call for change and to celebrate acts of courage and determination by ordinary women who have played an extraordinary role in the history of women's rights.

are often scanty. By way of leadership roles, women Ministers are often entrusted with welfare oriented portfolios like women and child development and welfare of other weaker sections. Spheres involving technical information and expertise like finance, home, defence are rarely allotted to women, though women have demonstrated their ability to occupy such positions.

After the 73rd Constitutional amendment 1993, it has become obligatory for all the states in India to adopt a three tier structure from the village to the district level commonly known as Panchayat Raaj. There is reservation of one third seats for Women. The elections have been held in many states. But the women were not trained to take up such responsibilities. Many places they were put up as dummy candidates as they happened to be a relation of a political leader. The gross-root activist woman could be very less there in the elections, it being an expensive proposition. Also because there is wide-spread criminalisation of politics which provides an atmosphere contrary to participation of women in electoral processes. Without creating an environment conducive to her participation, her training to take up responsibilities and support structures for enabling her to have time to take up responsibility, the question of political participation remains non-starter in true sense.

The term political participation itself needs to be redefined. As per common understanding political participation denotes participation solely in electoral and administrative processes. It includes a set of activities which have a strong bearing on political groups, the power to effectively influence those voted for, in decision making processes and policies altering existing situations wherever they are disadvantageous with a view to bring about necessary social changes. Merely increasing women representation will not lead to greater promotion of women's interests over general interests. Nevertheless number should be large at crucial level for effective exercise of power. But the matter of real concern is to ensure that the women rise above the passivity of being a political constituency and position themselves to control the constituency, thereby being in position to influence the political structures, their policies and their implementation.

To reach that position woman has to be both a strong individual and a collective economically, socially, culturally and politically. She has to in all the structures, organisations to influence anti-women bias in favour of women 's perception.

Women in the decision making are very few. As per data available till 1994, in the Govt. of India there is only one secretary among 75 men, 16 women additional secretaries to 293 men, 155 women officers against 1114 men, 57 women were at Directors level as opposed to 562 men. In the Judiciary, only one woman Judge among 21 in the Supreme Court, 14 female judges at H.C. level among total of 433. In the Corporate Sector till 1991, there were 51 women at the managerial level from among 1575. In the Higher Education only 8 female Vice Chancellors from among 218 total and only 3 female registrars from among 218 total which is less than 1. 5%.

That shows so little is available about women in decision making. Thus the system is male oriented. The studies shows that the women who could have opted for career were not given that support in the families especially in child caring and they had to forgo the opportunities even when they were very capable. The support structures, attitudinal changes are very important ingredient for that.

What is the picture before us. In women work force in India, only 8% are in the organised sector and 92% of the working women are in the unorganised/informal sector. So all the laws, rules and the benefits accruing out of them are reaching 8 percent of the working women only. All the rest is deprived of the social security bene-

women are either unemployed or working in the informal sector of the economy: environmental degradation is hitting women hard, especially those whose predominant role is in agriculture; armed conflicts in all regions contribute to a growing number of refugee women. Despite success in passing laws to protect women's rights and guarantee their economic and social equality, de facto discrimination persists. Violence against women--while receiving greater attention than ever before-- continues and in some places has intensified.

Education : encouraging trends

In many parts of the world, girl children receive less education, less food and less health care than boys According to the World Health Organization (WHO) one sixth of all female infant deaths in India, Pakistan and Bangladesh were due to neglect and discrimination (1986 figures). Nevertheless, trends in education are, for the most part, encouraging . The percentage of girls and women enrolled in primary and secondary schools as well as in graduate study programmes rose one percentage point between 1980 and 1988, to 45 per cent. However, despite a declining proportion of illiterate women-- from 46.5 per cent in 1970 to 33.6 per cent in 1990--girls and women still represent two thirds of the world's illiterates, and they are becoming literate at a slower rate than are men. These figures have serious implications, since children's health and child mortality rates are affected much more by a mother's schooling than by a father's.

There is concrete proof that women's education lead to fewer births, fewer infant deaths, more women in the formal labour force and greater economic growth. Yet in some 37 of the world's poorest countries, health budgets have been halved, according to the International Fund for Agricultural Development (IFAD), largely as a result of the recession of the 1980s.

The outlook is good for increased literacy, however. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) predicts that only 28.2 per cent of women will be illiterate by the year 2000, due to efforts by Governments working in tandem with international development agencies and women's groups to come up with innovative ways of boosting female literacy.

Mortality still too high

Women's health has improved substantially in some areas and worsened in others. While life expectancy is greater, and fertility and infant mortality rates have fallen, there has been little progress in reducing maternal mortality rates. Each year at least half a million women worldwide die from complications due to pregnancy, and another 100,000 as a result of unsafe abortions, according to the United Nations Children's Fund (UNICEF). The proportion of married women in developing countries who use contraception has doubled within one generation, but an estimated 300 million worldwide still have no access to quality family planning; one fifth of all pregnancies in developing countries are unplanned and unwanted.

Even more disturbing, scholar Amartya Sen reports that, based on global mortality patterns, some 100 million Asian women are estimated to be missing, attributable largely to female infanticide and the abortion of female foetuses. Even in industrialized countries like the United States, gender discrimination in health care is responsible for the deaths of thousands of women.

Also, women now constitute 40 per cent of HIV-infected adults, and the WHO is projecting that by the year 2000, more than 13 million women will be infected with the virus and about 4 million of them will have died. Health issues will therefore figure prominently at the World Conference in Beijing, as delegates attempt to address long-term consequences and seek common ground for dealing with the challenges. As

remove gender bias from all spheres of life, if we really want to realise empowerment of women in practise. With continuous attacks by different structures, collectives and individuals on the women who march forward for a political and social change, as it happened in case of Bhanwari Devi in Rajasthan or with Uttarkhand Women in Muzzaffarnagar or the cases of naked parading of women activists in Madhya Pradesh etc. a long-long list, empowerment of women can't be realized, this has to be asserted again and again.

The legislations, policies, resolutions to talk about women's empowerment is meaningless until and unless the environment and atmosphere is changed for realising all the said and written and that requires change in attitudes and perceptions about women from top heirarchy to down. The basic concept of "Women to be welfared upon" needs to change to that of woman as human being to have her rights as a matter of right and not as a pity or some consideration because she is treated to be a week person who can't take care of herself.

She to be in that position, is that the real struggle which is ahead, a tremendous task for which we are looking forward towards Beijing on UN conference and NGO forum to evolve actions to march in that direction. Because we know the problems of women are not different from country to country. They only differ in intensity.

A WOMAN'S DAY OR A MAN'S DAY?

Which would you prefer if you could choose? The Swedish International Development Agency outlined a typical day for a man and a woman in a family that grows both cash crops and its own food supply, in its journal, *Striking a Balance*. The family lives "somewhere in Africa".

The woman's day does not change if she is pregnant. There is little time to spare to visit a medical centre for regular prenatal care.

A WOMAN'S DAY	A MAN'S DAY
rises first	
kindles the fire	
breast-feeds the baby	
fixes breakfast/eats	rises when breakfast is ready
washes and dresses the children	eats
walks 1 kilometre to fetch water	
walks 1 km home	walks 1 km to field
gives the livestock food and water	
washes cooking utensils, etc.	works in the field
walks 1 km to fetch water	
walks 1 km home	
washes clothing	walks 1 km home
breast-feeds the baby	
walks 1 km to field with food for husband	
walks 1 km back home	eats when wife arrives with food
walks 1 km to her field	
weeds field	works in the field
breast-feeds the baby	
gathers firewood on the way home	
walks 1 km home	walks 1 km home
pounds maize	rests
walks 1 km to fetch water	
walks 1 km home	
kindles the fire	
prepares meal/eats	eats
breast-feeds the baby	walks to village to visit other men
puts house in order	goes to bed
goes to bed last	

worse, given that women are living longer and have less support from families, husbands and fathers. This is due to a general rise in male migration as well as overall unemployment trends. The number of rural women living in poverty nearly doubled over the past 20 years, and today women constitute at least 60 per cent of the world's 1 billion rural poor. Experts concur that extreme poverty, combined as it frequently is with discrimination, causes the deaths of millions of girls and women, especially the elderly.

Poverty is also apparent in the fact that there are more and more female-headed house-holds--about one fifth of all households worldwide--and the figure is rising. In rural areas of Africa and the Caribbean, the proportion is higher.

Women also make up nearly half of the international migrant population, according to the United Nations Population Fund (UNFPA): many female house-hold heads are migrant workers. And although these women generally send more money back home than do their male counterparts, they tend to suffer double, triple or quadruple discrimination, based on their sex, birthplace, class and acceptance of their subordination as natural or inevitable. According to the Fund's Executive Director, Dr. Nafis Sadik, the human rights of women migrant workers and refugees--particularly their vulnerability to sexual exploitation and abuse, and their lack of access to reproductive health services--are now receiving increased attention.

Making political inroads

Women's access to political and economic power is not commensurate with their influence in other spheres of life: they constitute a minority in the corridors of power and decision- making both nationally and internationally. But world events, and the three previous United Nations conferences on women, have politicized them to an extent unprecedented in history. Largely as a result of the United Nations Decade for Women, many Governments have established special offfices for women's issues, included women as a key component in development policies and taken steps to increase the numbers of women decision makers. Women activists have been acquiring the managerial and negotiating skills needed to move from the town square to the bargaining table, from the spectators gallery to the convention centre, in the words of Sharon Capeling-Alakija, former Director of the United Nations Development Fund for Women (UNIFEM).

Again, however, the progress is uneven: the proportion of women parliamentarians worldwide dropped from 12.5 per cent in 1975 to 10.1 per cent in 1993. As of November 1993 there were six female heads of Government, and only eight of the 184 Member States of the United Nations had women Permanent Representatives. Women's representation at the cabinet level is less than half that in national legislative bodies, and close to 100 countries have no women in parliament at all.

Of course there are exceptions. In 1993 the Seychelles held the record for the highest percentage of women parliamentarians--45.8 per cent, according to the Inter-Parliamentary Union--and the Nordic countries are consistently high as well: in Finland, women comprise 39 per cent of all parliamentarians. In the United States, 1992 was termed the year of the woman, because of the unprecedented number of women winning elections and, with the new Administration in 1993, political appointments. It is notable that the developing countries have a better record of women's parliamentary representation (12 per cent) than the industrialized nations (9 per cent).

At the international level, including the United Nations, while the situation remains discouraging, more women than before hold top positions. At the end of 1993, six of the most influential positions in the United Nations system were held by women, and the

4th World Conference to Set Women's Agenda into Next Century

In September 1995, thousands of women and men from around the world will meet in Beijing for the Fourth World Conference on Women. Participants will assess how women's lives have changed over the past decade and take steps to keep issues of concern to women high on the international agenda.

Are women better or worse off? The picture is mixed: a greater proportion of women are literate, and more of them are visible at high political levels. At the same time, many women are poorer than ever before, and women's human rights are being violated on an unprecedented scale. The United Nations Decade for Women (1976-1985) witnessed indisputable progress in some areas, backsliding in others.

"In Beijing, we will determine what can be done to eliminate gender discrimination and promote new partnerships between women and men into the 21st century", says Gertrude Mongella, Secretary- General of the Conference. The coming generation will be entrusted with advancing the achievements of the past two decades. "The pursuit of gender equity is crucial, if the quality of life is to be truly enhanced".

Since 1975--International Women's Year and the year of the first world conference on women, in Mexico City--there has been increasing awareness that what happens to women and their children has a profound impact on the well-being of nations.

The United Nations Decade for Women, and the third world conference on women, held in Nairobi in 1985, had as their theme: Equality, Development and Peace. In Beijing, says Ms. Mongella, we will have to look at how that theme has fared in light of the changes the world has seen over the past decade.

Ms. Mongella, who headed her country's delegation to the Nairobi Conference and has served as High Commissioner to India of the United Republic of Tanzania, was appointed Secretary-General of the Beijing Conference in 1992 by United Nations Secretary- General Boutros Boutros-Ghali.

Today, women are perceived less as passive beneficiaries of economic growth and social and political development and more as key players in their own right, with knowledge, skills and energy. They are active, and activists--in the family, communities and nations--determined to ensure a better world for their children.

Progress and setbacks

At Beijing, delegates from United Nations member countries will look at recent trends affecting the status of women, with an eye to the future. They will review how women have fared in the areas of health, education, employment, family life, politics and human rights. Despite the progress that has been made during the past 20 years, disparities between North and South, rural and urban, rich and poor, continue to concern women every-where. Unfortunately, notes Ms. Mongella, "progress has not been felt by women at all levels of society, particularly at the grass roots." The purpose of the Conference, she says, is not to emphasize the differences between countries or regions, but to use our diversity as a source of strength and unity. We are going to share our different experiences in order to take action for a better world.

The Conference will focus on persistent problems common to women from all parts of the globe. A disproportionate number of

increased, and there is a call for legislation to prevent violence against women and eliminate female circumcision.

Stronger focus on human rights

Violence, rape, torture, humiliation, anger and anguish are all too familiar to women around the world.

One of the major achievements of the past 10 years has been the support by a growing number of countries for the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, which legally binds them to achieve equal rights for women in all fields--political, economic, social, cultural and civil. First adopted in1979, it has now been accepted by 133 countries. However, many of those countries have placed reservations on key provisions that they view as conflicting with their religious or cultural practices, especially with regard to marriage and family law--an area notorious for discrimination against women.

Women's human rights have also gained increasing recognition in recent years as the focus of women activists has expanded from economic development and equality to encompass more immediate and personal threats against women's well-being. Violence against women, for example, was not even mentioned in the 1979 Convention because it was not generally recognized as a human rights problem. Now, however, it is receiving urgent attention, in part because the Nairobi Forward-looking Strategies helped people to see the close connection between violence at the personal and internabonal levels. Today many women's rights watch organizations are energetically engaged in getting women's human rights onto the international and national agenda.

Women's non-governmental organizations (NGOs) attending the 1993 World Conference on Human Rights in Vienna aggressively lobbied delegates to include references to women's human rights in the final document adopted there, the Vienna Declaration and Programme of Action. They helped draft the Declaration on Violence against Women, which was adopted by the United Nations General Assembly in December 1993. This ground-breaking document is the first universal legal instrument aimed specifically at combatting violence against women and putting that abuse on the map of international human rights legislation.

At Vienna, women's groups were widely viewed as the best organized and most influential in offficial proceedings. Through that Conference, as through the United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro and the three previous world conferences on women, women have learned that they can have an impact--not only on policies in their own-countries, but also on international legislation.

That potential will again be unleashed at the Beijing Conference, which, coming after a series of major world conferences, will mark the culmination of more than two decades of work on human rights, population and social development. It will draw on the momentum created by the first three women's conferences--a momentum that generated important new laws, increased funding for projects aimed at improving women's lives, led to the creation of numerous new women's networks and galvanized the women's movement in general. It led many countries to create national bodies and appoint individuals mandated specifically to improve--and monitor--the status of women.

Mobilizing for Beijing

Preparations for Beijing are already under way at the global, regional and country levels. Ms. Mongella, the Conference Secretary-General, feels that preparations at the national level are especially crucial, as they are likely to have the most immediate impact on people's lives. All sections of society

Contd on page 26

Conference Secretary-General Mongella puts it, the problems of women are not different from country to country or region to region. They only differ in intensity.

Women as workers

Progress in the economic arena has been limited for women. Their participation in the formal labour market increased in many regions between 1970 and 1990, particularly among women with children. Women now represent 41 per cent of all workers in developed countries, 34 per cent worldwide. But while the wage gap may have closed somewhat, women still earn, on average, 30 to 40 per cent less than men for comparable work, and there are many more women than men in lowerpaid jobs, according to the United Nations publication The World's Women 1970-1990: Trends and Statistics.

Levels of inequality vary from place to place, but the pattern is international. Men are more likely to have regular full-time work and to receive greater seniority and benefits. Nonetheless, women are definitely breaking through what has variously been called the glass ceiling, the bamboo ceiling or the old boy's network, honing their leadership skills and abilities to command respectable salaries commensurate with their work. In the United States, for example, women earned 72 cents for each dollar earned by men in 1990--12 cents more than in 1985. The news is even better for women aged 24 to 35, who earn 80 cents to the male dollar, according to The New York Times, which goes on to state that one third of all working women in the United States are professionals or managers, although they comprise only 3 per cent of top executives. This trend appears to be almost universal: in 39 of 41 countries, the proportion of women managers rose between 1985 and 1991, reports the International Labour Organisation (ILO), with the best record in Latin America and the Caribbean (20 per cent).

And while women are entering non-traditional occupations in increasing numbers, most still work in the informal sector, with its insecure and frequently dangerous working conditions; they also far outnumber men in this sector. Known in many parts of the world to be successful entrepreneurs and traders, women have frequently been thwarted in their attempts at financial independence by lack of access to capital and other resources, inadequate education and training, and uneven distribution of assets and responsibilities within the family. Although they usually bear the costs of setting up informal activities, they often turn over the benefits to the male members of the family.

When they do work in the formal sector, women tend to be concentrated in the pink ghetto--clerical work, domestic service, subsistence agriculture and export processing zones, where they account for 70 to 90 per cent of all employees. And although women work longer hours than men--up to 13 hours more, in Africa and Asia--much of what they do is often unrecorded, undervalued or not valued at all.

Women's organizations and the United Nations have been in the forefront of innovative efforts by statisticians to identify accurately the economically active population, particularly in the informal sector, and determine how to assign an economic value to women's unremunerated domestic, agricultural and reproductive work. The Beijing Conference will showcase ongoing work to refine such statistics and ultimately to use those data to supplement the national accounts that are used in determining policy directives.

Women and poverty

The invisibility of women extends beyond their economic roles. Frequently living on the margin of established society, poor women, migrant women and women refugees are even more vulnerable than men living under the same circumstances.

Poverty is one area where women's situation has taken a dramatic turn for the

अब यह मान्यता उभरने लगी है कि जरूरी नहीं कि आर्थिक विकास से मानव का विकास हो ही। महिलाएं जो सामाजिक रूप से उत्पादक और प्रजनन जैसी बड़ी भूमिकाएं निभा रही हैं, वे ही विकास के ऐसे वैकल्पिक मॉडल को उभार सकती हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से न्याय संगत और समतामूलक है।

हम एक ऐसे समाज का सपना (विज़न) लेकर चल रहे हैं, जहां का विकास जन-केंद्रित है और जिसमें लैंगिक-बराबरी, सामाजिक और आर्थिक न्याय, सभी स्तरों के निर्णय में आम जनता, खासकर महिलाओं की सहभागिता, सांस्कृतिक बाहुल्य और परिस्थितिकीय संतुलन के उसूलों को आर्थिक विकास से ज्यादा तवज्जु दी जा रही हो।

हम सभी देशों से आह्वान करते हैं कि वे .....

1. विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी उधार देने वाली एजेंसियों के काम पर फिर से नजर दौड़ाएं और उनकी समीक्षा करें, ताकि वे कर्ज देने की शर्तों के तौर पर ढांचागत समायोजन कार्यक्रमों पर अपनी मनमानी न करे।
2. विकास प्रेरित नीतियों के मौजूदा दबावों के मुख को मानव विकास की ओर गेहूँ, जिसमें लोगों, खासकर महिलाओं को इन सभी नीतियों के केन्द्र में लाएं।
3. बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा आनुवंशिक संसाधनों के पेटेंटकीरण पर पाबंदी लगाएं।
4. अनुचित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलनों से दक्षिण एशियाई देशों (जो प्राथमिक संसाधनों के धनी हैं) की अर्थव्यवस्थाओं को बचाएं।
5. लंगड़ा कर देने वाले कर्ज़ के बोझ को रद्द करें और संसाधनों का उपयोग सामाजिक विकास के लिए करें।
6. ऐसे कानूनों को पारित करें, जिससे ग्रामीण समुदाय के संसाधन निजी क्षेत्रों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में जाने से बचें।
7. सशस्त्रों के खर्च में कटौती करें।
8. सामाजिक क्षेत्र के खर्च को बढ़ाएं।
9. राज्यों की सुरक्षा के बजाय मानव सुरक्षा की दिशा में राजनैतिक और नैतिक कटिबद्धता बनाएं।

मानव सुरक्षा की बुनियादों में शामिल हैं :

— खाने की सुरक्षा का अधिकार
— स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल का अधिकार।
— काम करने और रोजगार पाने का अधिकार।
— बुनियादी स्वास्थ्य एवं शिक्षा का अधिकार।

10. यह सुनिश्चित करें कि निर्यात अभिमुखीकरण उपयोग की घरेलू जरूरतों की कीमत पर न हों, खासकर बुनियादी अनाजों, जमीन उपयोग और देशज उद्योगों के कच्चे माल की कीमत पर न हो।
11. ऐसे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और बाजारों को विकसित करें, जो सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के अतिरिक्त रोजगार पैदा करे और गरीबी दूर करें।
12. गरीबी दूर करने की उन नीतियों और कार्यक्रमों को फिर से गढ़े, जो गरीब समुदायों की अतिजीवितता के संदर्भ में महिलाओं की जरूरतों और चिंताओं की बुनियाद पर खड़ी हो।
13. महिलाओं की उत्पादक और सामाजिक प्रजनन की भूमिकाओं को मान्यता दें और समाज को उनकी इन भूमिकाओं के प्रति संवेदनशील बनाएं।
14. आर्थिक वित्तीय और कर्ज संस्थाओं के संबंध में सभी स्तरों की योजनाओं और उनके निर्णयों में महिलाओं को जोड़ने के सभी संभव प्रयास करें।
15. महिलाओं की उत्पादक संसाधनों तक पहुंच बनाने और उन पर अपना नियंत्रण जमाने में समर्थ बनाएं।
16. ऐसे कानूनों को पारित करें, जिससे महिलाएं संपत्ति और विरासत के अधिकारों से सुसज्जित हो सकें।
17. स्थानीय और क्षेत्रीय स्तरों पर आर्थिक और विकासीय नियोजन और ढांचों का विकेन्द्रीकरण करें और नौकरशाही को खत्म करें।
18. महिलाओं को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए महिलाओं के अनौपचारिक समूहों को मान्यता दें।
19. विकासीय योजनाओं को पारित करने से पहले 'जेंडर-ऑडिट' और पर्यावरणीय ऑडिट की जरूरी शर्त बनाएं।
20. जनगणना में और सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी.एन.पी.) की गणना में महिलाओं के काम के भुगतान और बिना भुगतान को डालें।
21. घर के भीतर लैंगिक श्रम विभाजन पर सवाल उठाएं और घरेलू काम और बच्चों की देखभाल में पुरूषों की भागेदारी को प्रोत्साहित करें।
22. नौकरियों के लिए महिलाओं को शिक्षा और कुशल बनाने के प्रशिक्षण मुहैया कराएं और उनमें

Secretary-General has committed himself to achieving a 50-50 ratio of women in professional posts by the year 2000. In 1975, women occupied 16 per cent of such posts in the United Nations secretariat, and, as of June 1993, 31.3 per cent. They now constitute roughly 25 per cent of all civilians engaged in peace- keeping operations, as opposed to 5 Per cent in 1970.

The United Nations proclamation in 1975 of International Women's Year and of the United Nations Decade for Women inspired women to take charge of many areas of their lives. In response to critical levels of pollution, deforestation and desertification, for example, women--who are the main providers of food, fuel and water for their families in most of the developing world--are now recognized as being at the forefront of environmental preservation efforts. The women's movement, working closely with bilateral and multilateral aid agencies, has played its part in formulating the new paradigm for development which has emerged over the past 10 years: more centred around people than economics, it is by definition women-centred as well, because of the crucial and versatile roles women play in the economic and social development of their communities. At the same time, gender analysis and gender planning have emerged as tools for development specialists who focus on the relations between women and men in all areas. As such, they will figure prominently in the assessments being undertaken for Beijing.

A Platform for Action

The 1995 Conference will adopt a Platform for Action, analysing obstacles to women's advancement and recommending steps for overcoming them. Both that document and the preparatory work leading up to the Conference at the national and regional levels are intended to mobilize society to meet the challenges and demands of the next century.

While much of the Conference will be dedicated to planning for the future, as reflected in the Platform for Action, delegates will also be making a critical assessment of the past--of areas in which advances, or setbacks, have been made since 1985, when goals to the year 2000 were established at the Nairobi Conference. Known as the Nairobi Forward-looking Strategies for the Advancement of Women to the Year 2000, those goals were an appeal for government strategies to address the impact on women of government policies in areas such as employment, education, industrial investment, housing, transportation and the environment. The Plafform is intended to speed up the process of making the Forward-looking Strategies a reality, by proposing actions to be taken by policy makers and by women and men at the grass roots. The proposed actions will have realistic and quantifiable targets: the average woman could either undertake them herself or ask her political leaders to do so. They will focus on ten critical areas of concern: power-sharing; commitment to women's rights; poverty; education and health; violence against women; the effects of armed or other kinds of conflict; economic participation; insuffficient mechanisms to promote women's advancement; mass media; and environment and development. The goals of the Forwardlooking Strategies, which are intended to be implemented by the year 2000, are deliberately ambitious. In the legal domain, they include equal rights for women, the abolition of slavery and prostitution, establishing a legal minimum age for marriage and punishing female infanticide. At the social policy level, the Strategies call for access by all women to maternity leave, maternal health care, family planning, nutrition and education, as well as for increased national health budgets. Governments are asked to develop incentives for the provision of child care and to start campaigns for equal sharing of domestic responsibilities. The percentage of women in politics and management is to be

मुख्यधारा में आ सकें।

- शिक्षण प्रक्रियाओं के विकेन्द्रीकरण और प्रजातांत्रिकरण में राजसत्ता को अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटकर इसे बाजार के सुपुर्द नहीं कर देना चाहिए। शिक्षा प्रकियाओं को शक्तिशाली बनाने में गैर-सरकारी संगठनों, महिला समूहों और जनसमूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
- शिक्षा की व्यापक योजनाओं में महिलाओं के उस देशज ज्ञान को जोड़ा जाना चाहिए, जिसके बल पर वे ऐतिहासिक तौर पर अपने अधिकारों और पहचान के लिए लड़ने में सक्षम हुई हैं और इसे ज्ञान के नये-नये सोपनों की जानकारी देने में उपयोग में लाया जाना चाहिए और लोगों पर वैज्ञानिक शोध का जोर जाना चाहिए।
- झगड़े और लड़ाई की परिस्थितियों में महिलाओं और बालिकाओं तक शिक्षा पहुंचाई जानी चाहिए। राजनैतिक हैसियत और पहचान के बिना शरणार्थियों के तौर पर महिलाओं को काफी दर्द और चोटें सहनी पड़ी हैं। शैक्षणिक प्रक्रियाओं को सामूहिक राजनैतिक कार्यवाही की दिशा में शुरू कराये जाने की जरूरत है।
- मीडिया को महिलाओं को सशक्तता बढ़ाने में पर्याप्त ढंग से उपयोग में लाना होगा। जन संचार माध्यम चूंकि लाभ की प्रेरणा पर आधारित है, इसलिए इसने हमेशा से पितृसत्तात्मक और बाजार उन्मुखी मूल्यों को ही बराबर तैयार किया है और उसे पुख्त किया है। इसे गंभीरता पूर्वक अपने नजरियें को पुन: उदीयमान करना चाहिए और गंभीर चिंताओं को संबोधित करना चाहिए।

महिला : बंदोबस्त और विकास

आलोचना

इस दस्तावेज में बंदोबस्त की संकल्पना की पूरी तरह से गायब है। विकास के एक महत्वपूर्ण घटक के तौर पर इसमें महिला और संभावना की संकल्पना को नहीं समझा गया है। यह पाया गया है कि महिला और बंदोबस्त के मुद्दे पर घर के अधिकार के आंदोलन को समुचित ढंग से कभी भी नहीं संबोधित किया गया न ही लैंगिक प्रश्न को ही केन्द्र में लाया गया है। हमारा मानना है कि सामाजिक विकास (1995), महिलाओं (1995) और मानव बंदोबस्त (1996) के मुद्दे को समग्र तरीके से संबोधित करने का एक बड़ा अवसर हाथ लगा है। अत: यह जरूरी है कि विभिन्न धाराओं में काम करने वाली महिला शोधकत्रा और कार्यकर्ता इन मुद्दों पर और करीब आयें।

सिफारिशें

बंदोबस्त की शब्दावली को शहरों और गांव की गरीब महिलाओं और समुदायों तथा घर, जमीन, पानी, प्राकृतिक संसाधनों और आजीविकाओं और सामुदायिक स्तर पर एवं स्थानीय शासन में निर्णय लेने की चिंताओं को शामिल करने के लिए परिभाषित किया जाना जरूरी है। वे लोग जो इन मुद्दों पर महिलाओं की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं, उन्हें मील के कई पत्थरों को पार करना होगा।

जो इस मुद्दें पर काम कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले अपने काम में महिलाओं की मौजूदा स्थिति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। तब उन्हें एक ऐसी प्रक्रिया निकालनी होगी, जो महिलाओं की मौजूदा स्थिति-जहां उनकी सहभागिता न के बराबर है या बढ़िया हुई तो किनारे पर-को ऐसे स्तर पर ले आना, जहां वे केन्द्रीय सहभागी बन सकें और विकासीय प्रक्रिया की मध्यस्थ बनें। साथ ही उन्हें ऐसी विधियों को खोजना होगा और ऐसे ढांचे खड़े करने होंगे, जिनसे इन प्रक्रियाओं की सशक्तता की चिरंतरता सुनिश्चित हो सके।

- गांव के संदर्भ में रहन-सहन/बंदोबस्त के मुद्दों को व्यक्त करने की आकस्मिक जरूरत है। देहाती क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों, आजीविकाओं और बंदोबस्त के बीच बड़ा गहरा संबंध है। ग्रामीण समुदायों के पलायन, पुनर्वास और विस्थापन के प्रतिकूल प्रभावों में इन पहलुओं पर गौर करना जरूरी है।
- जैसा कि आज, शहरी गरीबों के लिए कोई विस्तृत योजना नहीं है। जमीन, खाना, काम और बुनियादी साधनों की सुरक्षा के अभाव का महिलाओं पर ही सबसे ज्यादा असर पड़ता है।
- नीति निर्माताओं और समुदाय द्वारा महिलाओं के निष्कासन, विध्वंस और अपने जीवन को नये सिरे से निर्मित करने की उनकी क्षमता को अन्यथा लिया जाता है।
- रोजमर्रा की असुरक्षा से लड़ते-लड़ते महिलाएं तो पहले ही त्रस्त हो चुकी है, उस पर ढांचागत समायोजन कार्यक्रम लाद देने से उनकी स्थिति और बदतर हो गई, इसी के

महिला : आजीविका, आर्थिक सामर्थ्य, विकासीय मॉडल, पर्यावरण

महिलाओं पर गरीबी का चिरस्थाई और बढ़ता बोझ तथा आर्थिक ढांचों तक महिलाओं की पहुंच और सहभागिता में गैर-बराबरी।
प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध में महिलाओं के योगदानों की अपर्याप्त मान्यता और समर्थन का अभाव

आलोचना

द ड्राफ्ट प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन में, उन कारणों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है, जो महिलाओं में गरीबी बने रहने और उसका बोझ बढ़ते चले जाने के लिए जिम्मेदार हैं और न इसमें उन ताकतों का ही जिक्र मिलता है, जो बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय विनाश के लिए जिम्मेदार है, जिनसे मानव जाति, खासकर महिलाओं पर कहर बरपा है।

हमारा मानना है कि जब तक इन मुद्दों को ईमानदारी से संबोधित करने के प्रयास नहीं किये जायेंगे, तब तक किसी भी कार्यवाही से महिलाओं की सशक्तता नहीं बन पायेगी, बल्कि ये सतही प्रयास ही होंगे, जो आज की दुनिया में घर कर गई है।

हमारा मानना है कि महिला और पुरूष, देश के विभिन्न तबकों के बीच और विभिन्न देशों के बीच संसाधनों के असमान वितरण और उस पर विकास के बाजार केन्द्रित विकास उन्मुखी मॉडल से पर्यावरणीय बर्बादी, विस्थापन, आजीविकाओं का हास और 'दक्षिण' से 'उत्तर' की ओर संसाधनों का तबादला, राष्ट्रों के भीतर और उनके बीच हुआ है।

आर्थिक नीतियों का कहर गरीबतम तबकों पर ही बरपा है, खासकर महिलाओं पर ही सबसे ज्यादा। निजीकरण और निर्यात उन्मुखी औद्योगिकरण के प्रोत्साहन से दोहक उद्योगों का विकास हुआ है और इसी से ही कृषि भूमि और जंगलातों का बागान, औद्योगिक जायदादों, पर्यटक स्थलों और जागीर उप-विभागों में रूपांतरण हुआ है। जबकि इसका फायदा निजी मलकियत, खासकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निचुड़ रहा है, लेकिन समाज और पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक परिणामों के लिए कोई दावा नहीं है।

विकास के उत्पादन प्रेरित मॉडल से समाज के मौजूदा पितृसत्तात्मक मूल्यों को भी और गति मिली है, जिससे महिलाओं पर ही सबसे ज्यादा कहर बरपा है। महिलाओं में, खासकर आर्थिक रूप से दरिद्र क्षेत्रों की महिलाओं, विस्थापित और शरणार्थी महिलाओं, आदिवासी और दलित महिलाओं, घर की आजीविका चलाने वाली महिलाओं और शहरी झोपड़-पट्टियों में बसर कर रही महिलाओं पर ही सबसे ज्यादा गाज गिरी है।

हमने पाया है कि पूरी दुनिया भर में, खासकर एशियाई क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय और लिंग के बंटवारे से महिला श्रमिकों पर ही कहर बरपा है, परिवार और रोजगार के बाजार, दोनों ही जगह। दोनों ही संदर्भों में महिलाओं की आर्थिक भूमिकाओं और उनके योगदानों को, चाहे मंजूरी की हो या गैर-मंजूरी की, उसे नियोजकों और समाज द्वारा मुद्रा और सामाजिक मायनों में कोई मान्यता नहीं दी गई है।

हमने पाया कि श्रम बाजार में श्रमिकों के लिंग के आधार के बंटवारे से काफी तादाद में महिलाएं अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में फेंक दी गई है, जहां वे कानूनी रूप से असुरक्षित और अस्थिर है।

- महिलाओं को निचले स्तर की कुशलताओं, काम के निचले स्तर के भुगतान तक सिमटा देने से और औपचारिक शिक्षा और उनकी कुशलताओं को बढ़ाने वाले वोकेशनल प्रशिक्षण के अवसरों को सिकोड़ देने से वे अलग चरण के लिए उत्तीर्ण नहीं हो पाती हैं और न ही नौकरियों में आगे बढ़ पाती है और न ऊंचे वेतन ही पा पाती है।
- मौजूदा ट्रेड यूनियन और सहकारी आंदोलनों से वे हाशिए पर ही आई है।
- महिलाओं का कर्ज और आर्थिक प्रोत्साहनों तक पहुंच और उस पर नियंत्रण में कमी आ रही है।
- आर्थिक ढांचों और नीतियों की परिभाषा से उनका निष्कासन।

अब जबकि हम 21 वीं सदी की दहलीज पर आ पहुंचे है, ऐसे में लाखों-करोड़ों लोग बुनियादी जरूरतों, साथ ही खाने की सुरक्षा, स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल, रोजगार, बुनियादी स्वास्थ्य एवं शिक्षा तक पहुंच जैसी जरूरतों से वंचित होते जा रहे हैं।

सिफारिशें

अत: हम आर्थिक विकास की उस संकल्पना पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिससे उपभोगवाद और भौतिकवाद के लिए होड़ मची हुई है और हम उसकी समीक्षा का आह्वान भी करते है। धीरे-धीरे

के योगदान के बदले वेतन का अधिकार।

स) विकासीय कार्यक्रमों और अन्य नीतियो को उन महिलाओं के साथ सलाह-मशविरा करके ही निर्धारित किया जाना चाहिए, जिनका इन पर असर पड़ने जा रहा है। महिलाओं पर ऐसे कार्यक्रमों और नीतियों के पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाना चाहिए।

2. **झगड़े**

जिन महिलाओं को झगड़े की परिस्थितियों में जोर-जबरदस्ती से विस्थापित किया जाता है, उन्हें अपने आप ही शरणार्थी की हैसियत दे दी जानी चाहिए, जिससे वे यू.एन.एच.आर.सी. (UNHRC)। तथा अन्य निकायों से बुनियादी हक के दावे कर सकें। अपील के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मंच गठित किया जाना चाहिए, जहां इन अनुभवों को मान्यता दी जाए, बुनियादी अधिकारों की गारंटी हो और साथ ही ऐसी विधि तैयार की जाए जिससे झगड़े के दौरान सुलह के लिए उनसे सलाह-मशविरा किया जा सके।

3. **मानवाधिकार**

उन हर देशों को, जिन्होंने सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू. का अनुमोदन किया है, उन्हें अपने देश के भीतर मानवाधिकारों को न्यायसंगत बनाना चाहिए। सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू. कमेटी के गैर-सरकारी संगठनों की रिपोर्ट को सीधे स्वीकार करना चाहिए और इसे सरकारी रिपोर्टों के सवाल के आधार के तौर पर उपयोग में लाना चाहिए। सरकार को उन विधियों को रखना चाहिए, जिसके जरिए महिलाओं के खास समूहों की जरूरतों की आवाज बुलंद हो और वे व्यक्त की जा सकें, ताकि वे ऐसी किसी नीति या कार्यक्रम की जानकारी देने में सक्षम हों, जिनका महिलाओं पर असर पड़ता है।

महिला और जन-संचार माध्यम

समाज में महिलाओं के सकारात्मक योगदान को प्रोत्साहन देने में जन संचार माध्यमों का अपर्याप्त गठबंधन

आलोचना

आज की युग मीडिया के प्रभाव में है। लोग कैसे समझत हैं, सोचते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं, उसका निर्धारण मीडिया के हाथों में है। पिछले दो दशकों में बहुराष्ट्रीय मीडिया ने अपने सेटेलाइट संचार टेक्नालॉजी के जरिए दुनिया में अपने विकराल पैरों के निशान छोड़े हैं। एक ओर इस नई टेक्नालॉजी ने दुनिया भर के लोगों के बीच संप्रेषण का मार्ग प्रशस्त किया है, वहीं दूसरी ओर इसके काफी बुरे प्रभाव भी हुए है। इनसे उन मूल्यों को बढ़ावा मिला है और वे स्थाई हुए है, जोकि सांस्कृतिक पहचानों और जेंडर के आधार पर पक्षपातपूर्ण हैं। बहुत पहले से यह मान्यता बनती चली आ रही है कि विश्व जानकारी व्यवस्था गोलमोल तरह की है, क्योंकि जानकारी का प्रवाह दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों से शक्तिहीन देशों की ओर हो रहा है। विश्व सेटेलाइट व्यवस्था इससे कोई अछूता नहीं है।

चूंकि इन बड़े संचारों के विकास की प्रमुख प्रेरणा वाणिज्य हैं, अत: दुनिया भर की प्रवृति निजीकरण एवं वाणिज्यीकरण की तरफ है। विज्ञापन इन कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण घटक है। लोगों, खासकर महिलाओं, को इन कार्यक्रामों के विज्ञापन के माल और सेवाओं के उपभोक्ताओं के तौर पर ही मुख्य रूप से देखा जाता है। प्रिंट और दूसरे मीडिया में भी यही देखने को मिलता है।

मीडिया द्वारा महिलाओं की छवि का निरंतर नकारात्मक प्रदर्शन, जोकि महिलाओं की विभिन्न भूमिकाओं और उनके मूल्यों की सही तस्वीर नहीं उभारता है, उसे ठीक किए जाने की बेहद जरूरत है। महिलाओं की मीडिया छवियां उनके जीवन का एक खास तरह से असर डालती है, क्योंकि ये उनके ढर्रे की छवियों को फैलाता है और स्थाई बनाता है और महिलाएं अपने बारे में जिस तरह से सोचती हैं, उस पर भी असर डालता है। मीडिया द्वारा बनाई छवियां नीति निर्माताओं के रवैये पर असर डालती हैं, जिससे महिलाओं की भूमिकाएं और योगदान और भी ज्यादा हाशिए पर आती जा रही है।

यौन (सैक्स) और हिंसा मीडिया-उन्मुखी जन-मनोरंजन का एक प्रमुख हिस्सा हो चला है। इससे लोगों के आचरण पर बड़े गंभीर प्रभाव पड़े हैं। मीडिया में प्रदर्शित छवियों से समाज में महिलाओं को जैसे देखा जाता है, उस पर तो कोई योगदान ही नहीं है, बल्कि इससे तो उनके खिलाफ हो रहे अपराध को बढ़ावा देने में ही इसका योगदान रहा है।

गैर-परम्परागत कुशलताएं जगाने के लिए वोकेशनल कोर्स कराएं।

23. संगठित क्षेत्र के कामगारों को दी जाने वाली कानूनी सुरक्षा के दायरे को सभी कामगारों के लिए जरूरी बनाएं, चाहे कामगार अनियमित तौर पर हों, ठेके पर हों या अंशकालिक हों।
24. न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दें।
25. समान कामों और तुलनात्मक कामों में महिला और पुरूषों को बराबर भुगतान मुहैया कराएं।
26. स्वयं-रोजगार करने वाली महिलाओं और घरेलू कामगारों को मान्यता दें।
27. अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाओं और दूसरे कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराएं, जिनमें स्वास्थ्य की देखरेख, बच्चे की देखरेख, व्यावसायिक जोखिमों का मुआवजा, बीमा और गर्भवती के लाभ शामिल हैं।
28. चिंरतर कृषि को प्रोत्साहित करें।
29. जैव-विविधता को बरकरार रखें और एक धान्य कृषि के फैलाव को रोकें।
30. मौजूदा तकनीकियों का पुनर्मूल्यांकन करें और सभी स्तरों पर महिलाओं के साथ सलाह-मशविरा करके समुचित प्रौद्योगिकी को विकसित करें।
31. काम की सुरक्षा की दिशा में कड़ी मेहनत से सुरक्षित रखने वाली प्रौद्योगिकी को लायें।
32. बीज बैंकों को खड़ा करें और कृषि एवं पौध के स्थानीय किस्मों को विकसित करें।
33. ईधन और चारे तक पहुंच सुनिश्चित करें।
34. पारिस्थतिकीय और जड़ी-बूटियों एवं औषध पौधों का संरक्षण करें।
35. यह मान्यता दें कि जंगल और जल संसाधन सामूहिक संसाधन हैं और इनकी सुरक्षा में महिलाओं की ही एक बड़ी भूमिका हैं।
36. पशुपालन और पशु कृषि कर्म।

शिक्षा तक पहुंच में गैर-बराबरी और अपर्याप्त अवसर

आलोचना

शिक्षा की धारा (पैरा 56 से 70 तक) को "पहुंच में गैर-बराबरी ....." के नजरिए से देखा गया है। इसमें गरीबी, असमानता और पक्षपात को शिक्षा के निचले स्तर के साथ जोड़कर नहीं रखा गया है।

शिक्षा के दिशा-निर्देश का सिद्धांत बाजारू विश्व चित्रण को ही स्पष्ट रूप से झलकाता है और शिक्षा शास्त्र को बदलने की जरूरत, और वे संकल्पनाएं, नीतियां और चलन, जिनसे ये निर्देशित होते हैं, उन्हें उभारकर नहीं रखा गया है। उदाहरण के लिए शिक्षा को टेक्नालॉजी दुनिया के लिए महिलाओं को कुशल बनाने के मायने में उनकी तैयारी के तौर पर विचार किया गया है।

शिक्षा विकास की दिशा में एकजुट करने के प्रयासों की कुंजी है। इसे महिलाओं के रोजमर्रा की हकीकतों से जुड़ा होना चाहिए और इस रूप में कि महिलाओं की इस तक पहुंच हो और जो उनके देशज़ ज्ञान का सम्मान भी करे। शिक्षण की विषय सूचियों की विधियों में संसाधनों की प्राथमिकता बनाना, पाठ्य-पुस्तको को बदलना और वोकेशनल स्कूलों तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। लेकिन व्यापक पैमाने पर शिक्षा देने की विधियों में गुणवत्ता पर कोई समझौता किये बिना शिक्षा तक पहुंच और निरक्षरता की ऐतिहासिक संचित कार्य के बीच की दूरी को ध्यान रखकर चलना बेहद जरूरी है।

सिफारिशें

क्या कदम उठाए जाएं?

- शिक्षा को विकास के अन्य पहलुओं की तरह प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- शिक्षा शास्त्र और शिक्षा की सामग्री महिलाओं, उनकी अपनी स्थितियों, राजनैतिक आर्थिक मुद्दों, सरकारी, मानवाधिकारों पर गहरी समझ बनाने में सहूलियत पहुंचाने के लिए होनी चाहिए, ताकि महिलाओं समेत समाज का उपेक्षित तबका अपने जीवन पर अधिक से अधिक नियंत्रण जमा सके।
- नीति निर्माताओं, प्रशासकों, सरकारी अधिकारियों, कानून लागू कराने वाली एजेंसियों, नियोक्ताओं एवं सेना में जेंडर संवेदनशीलता एवं जागरूकता बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वह विभिन्न क्षेत्रों के कार्यों की

क्या कार्यवाही की जाए ?

- मीडिया को विदेशी कर्ज, पर्यावरण, विज्ञान और प्रोद्योगिकी तथा चिरतर विकास जैसे उन विकासीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील होने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि ये समाज के व्यापक स्तर को छूते हैं। उन्हें इन मुद्दों के जेंडर आयामों के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित करें।
- संचार स्कूलों और अन्य पेशेवर समूहों में उपयोग के लिए विकास में महिला पर एक मॉड्यूल विकसित करें।
- विकास में महिला पर राष्ट्रीय क्रियाविधियां मीडिया के साथ घनिष्ठ जुड़ाव बनाकर चलनी चाहिए, पत्रकारों को जेंडर के प्रति जरूरी ऑरिएंटेशन मुहैया करना चाहिए, जिसके साथ वे विकासीय मुद्दों पर विचार कर सकें और उनका विश्लेषण भी।

महिलाओं के जीवन और उनकी जरूरतों के प्रति विज्ञान और प्रौद्योगिकी को और ज्यादा संवेदशील बनाएं।

आलोचना

कई मामलों में बड़े पैमाने के टेक्नालॉजी प्रेरित विकास से महिलाओं का विस्थापन हुआ है और वे शक्तिहीनता के गर्त में जा गिरी हैं, क्योंकि उन्हें आजीविका के वैकल्पिक साधन भी तो नहीं मुहैया कराये गये।

विज्ञान और टेकनालॉजी के अब तक के प्रयासों में महिलाओं की समस्याओं और उनके व्यावसायिक जोखिमों पर पर्याप्त रूप से रोशनी नहीं डाली गई हैं।

नीति के स्तर पर, कुछ ही महिलाएं ऐसी हैं, जो वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल हुई हैं और इसमें उनके जुड़ाव की भी कई बाधाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों, नैरोबी प्लान ऑफ एक्शन समेत, कई स्तरों पर विरोध के बावजूद इसे बदलने की इच्छा और इसके फॉलोअप करने की कार्यवाही की गति अभी काफी धीमी है।

सिफारिशें

यह स्वीकारें कि कृषि चलनों, खाद्यान्नों के भंडारण, जड़ी-बूटी की औषधियों और स्वास्थ्य देखरेख चलन के परम्परागत ज्ञान गरीब और ग्रामीण महिलाओं के पास हैं। इन व्यवस्थाओं की सुरक्षा करने, बढ़ाने और प्रोत्साहित करने की नीतियों और रणनीतियों की आज बेहद जरूरत है, इस तरह की जिससे उन महिलाओं और समुदायों को इसका लाभ हो सके जहां से ये ज्ञान उभरें हैं। यह सब कुछ सामुदायिक बीज बैंकों के गठन के प्रोत्साहन और पशु एवं पौध के वर्गीकरण के प्रोत्साहन और साथ ही कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा और आजीविका की जरूरतों को पूरा करने की परम्परागत और नये चलनों पर दस्तावेजों को प्रोत्साहित करके किया जा सकता है।

सरकार को उन किसानों को लाभांश• देना चाहिए जो पारिस्थितिकीय तौर पर चिरंतर विकल्पों को लेकर चल रहे हैं, जैसे कम्पोस्ट और जल से पैदावार। जैसा कि हमारे देश में 85% महिलाओं की श्रमशक्ति गांवों में रहती है, उन्हें भी किसान के तौर पर मान्यता दी जानी चाहिए और यह कि जब किसी नीति पर निर्णय लिया जा रहा हो, तब उनके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसे मामले खासतौर पर उन नीतियों के लिए होने चाहिए, जहां इन नीतियों का प्रभाव भूमिहीन कृषि श्रमिकों, जिसमें महिलाओं की तादाद सबसे ज्यादा है, के खाने की सुरक्षा पर पड़ता हो। भूमि सुधारों को जमीन की मलकियत में महिलाओं को फायदा पहुंचाने के लिए होना चाहिए।

इसके लिए उनका आह्वान टैक्नालॉजी प्रतिष्ठानों की तरफ से पारदर्शी और जन-जवाबदेही को लेकर है, ताकि उनके काम को समझा जा सकें और महिलाओं पर उनके पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन हो।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े मुद्दों पर महिलाओं के देशज ज्ञान को मान्यता देना, उन्हें पुर्नस्थापित करना और उसका निर्माण करना।

महिलाओं की वैज्ञानिक शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। चयन, विकास और निर्णय लेने के मसलों में वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों को महिलाओं के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए।

चलते महिलाओं के खिलाफ हिंसा और बढ़ रही है।

- रहन-सहन और बंदोबस्त के मुद्दों पर समुदाय, खासकर महिलाओं की सहभागिता को कानूनी आधार की बेहद जरूरत है।

- महिलाओं को उन नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन के साथ जोड़ने के लिए नये ढांचों और विधियों को इसमें सुविधा के लिए तैयार करना जरूरी है, जो उनके अपने जीवन पर असर डालते है।

हिंसा, अशांत परिस्थितियों (सशस्त तथा अन्य) के दौरान महिलाओं की स्थिति एवं महिलाओं का मानवाधिकार।

आलोचना

1. हिंसा के वक्तव्य में मुख्यत: घरेलू हिंसा के ही केन्द्र में रखा गया है। इसमें हिरासत में रखी गई महिलाओं के साथ हिंसा को नकार दिया गया है, जिनकी प्रकृति सुधारक/दंडनीय, रोग निवारक (जैसे उन लोगों के लिए जो मानसिक रोगी या अपंग हैं) हो सकती है और उन लोगों के साथ हिंसा जो सुरक्षा की दृष्टि से हिरासत में रखी जाती है।

   घरेलू हिंसा की तरह इन महिलाओं का जीवन स्तर और शोषण अदृश्यमान और अमान्य बना रहता है।

2. विस्थापन, बड़े पैमाने के विकासीय कार्यक्रमों, स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीतियों की घुसपैठ से महिलाओं पर होने वाली हिंसा, ये सभी कुछ अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं द्वारा राजसत्ता और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलीभगत करके प्रोत्साहित किये जा रहे हैं, जिससे बाजारू अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीयकरण को सुविधा और सहूलियतें पहुंचाई जा सकें। बलपूर्वक विस्थापन, आवास का छिनना, आजीविका, सामुदायिक सहयोग व्यवस्था के ह्रास से ऊपजी हिंसा को न तो कोई मान्यता दी गई है और न ही उन्हें दूर करने के उपाय किये गए हैं।

3. यौन पर्यटनवाद, की छेड़छाड़ और वेश्यावृत्ति के बढ़ते कारणों के तौर पर पहचाने जाने की जरूरत है।

4. जातिवाद, साम्प्रदायिकता और कटट्रवाद के परिणाम के तौर पर उपेक्षित और अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाएं जो मानसिक और शारीरिक हिंसा झेलती हैं, उसे मान्यता दिये जाने की जरूरत है।

महिलाओं पर सशस्त्र या अन्य तरह के झगडों के प्रभावों की आलोचना

आज महिलाओं पर सैन्य या अन्य तरह के झगड़ों के प्रभावों को मान्यता दिये जाने की जरूरत है, चाहे इसकी कैसी भी प्रकृति क्यों न हो। यह शारीरिक या यौन हिंसा के रूप में, विस्थापन, सामुदायिक सहयोग व्यवस्था के बिखरने के तौर पर या फिर सांस्कृतिक और सामाजिक अधीनता के मायने में हो सकती है।

महिलाओं के मानवाधिकारों पर आलोचना

अलग संदर्भों में महिलाओं के उन खास समूहों के विस्तृत विवरणों को कोई मान्यता नहीं दी गई, जिसे महिलाओं ने प्रकारों और प्राथमिकताओं की भिन्नता की जानकारी के लिए अपने मानवाधिकारों में संलग्न किया था। इन्हीं जरूरतों की श्रेणी के तौर पर महिलाओं को सहभागी बनाना महिलाओं के खास समूहों की विभिन्न जरूरतों की छूट हो सकती थी, जिनमें संस्थानों, उपेक्षित और अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाएं, अन्य श्रेणियों में गैर शरणार्थी की हैसियत से विस्थापित महिलाएं शामिल है।

सिफरिशें

रणनैतिक लक्ष्य और इन पर क्या कार्यवाही की जाए:

1. **हिंसा**

अ) यौन-पर्यटनवाद अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी बनाई जानी चाहिए।

ब) हिरासत संबंधी संस्थानों में गैर-सरकारी संगठनों के भ्रमण और वहां की महिलाओं के बीच काम करने के रास्ते प्रशस्त किये जाने चाहिए। सभी प्रकार के हिरासत संबंधित संस्थानों में महिलाओं की दशाओं और उनके स्तर पर आंकड़े एकत्रित किये जाने चाहिए। इन महिलाओं को मानवाधिकारों और प्रतिष्ठा की न्यूनतम गारंटी सुनिश्चित कराई जानी चाहिए, जैसे वोट का अधिकार, काम का अधिकार, इन संस्थाओं में उनके श्रम

- कानूनी और संस्थागत सहयोग के ढांचों को पुख्ता करके महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलायें।
- बाल-बालिकाओं, बूढ़ों और युवाओं, सबके लिए बुनियादी शिक्षा की मांग करें। लोगों की बुनियादी शिक्षा तक सहज पहुंच होनी चाहिए और शिक्षा को सिर्फ बच्चा जनने की क्षमता कम करने और जन्म नियंत्रण के माध्यम के तौर पर ही नहीं देखा जाना चाहिए।
- विस्तृत प्राथमिक स्वास्थ्य के देखरेख की मांग करें, जिसमें इन सेवाओं तक महिलाओं की विशेष रूप से पहुंच बनाएं, क्योंकि दुर्लभता और वित्तीय दबावों की स्थिति में महिलाएं ही सबसे पहले हाशिए पर आएंगी।

महिलाओं के स्वास्थ्य पर तब कार्यवाई करने के लिए दो बुनियादी जरूरत पड़ेगी :

1. गरीबी, सामाजिक अन्यायों और सांस्कृतिक भ्रांतियों के खिलाफ बहुआयामी कार्यवाई
2. स्वास्थ्य की जरूरत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना और इनके इर्द-गिर्द बुनियादी, द्वितीय और तृतीय स्तर की सहयोगी सेवाओं को विकसित करना, जिससे उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधायें मुहैया कराई जा सकें। हालांकि इन दोनों प्रयासों से ढांचागत समायोजन के लिए बाधायें खड़ी होती है, जोकि तीसरी दुनिया के देशों को अनुदान मुहैया कराने वाली एजेसियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक द्वारा प्रस्तावित हैं।

जुलाई 1985 के नैरोबी सम्मेलन के बाद के प्रयास महिला विकास को रेखांकित करने के लिए किए गए। अतः जबकि आई.सी.पी.डी. ने महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दों को सुरक्षित गर्भपात और प्रजनन के अधिकारों तक सीमित कर दिया और विस्तृत प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख, सामाजिक सुरक्षा और सुविधा के बुनियादी ढांचे के निर्माण में निवेश के मुद्दों को ताक पर रख दिया, वहीं दूसरी ओर, एशिया और प्रशांत के आर्थिक और सामाजिक आयोग ने अपनी कार्यवाई योजना (जकार्ता उद्घोषण, जून 1994) में एक जेंडर संवेदनशीलता की भाषा के जरिए मुखौटा पहनने का प्रयास किया। महिलाओं के प्रति अपनी चिंता दर्शाने के बावजूद ये यह कबूल करने से बाज नहीं आई किं महिलाओं से ज्यादा चिंता परिवार के भीतर "स्वास्थ्य" देखरेख मुहैया कराने वालियों को लेकर है और उन बच्चों की सुरक्षा को लेकर, जिन्हें वे जन्म देती हैं। ग्रामीण घरों की 13 प्रतिशत प्रसूति ही प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा की जाती है। ऐसे में प्रजनन सेवाओं में मातृत्व सेवाओं के दायरे को फैला देने की क्या उपयोगिता है ?

प्रजननत अंगों की बीमारियों, बांझपन, गर्भपात और गर्भ निरोध जैसे प्रजनन स्वास्थ्य के अन्य घटकों का औचित्य उनके फैलाव के आधार पर नहीं किया जाता है। सांस्कृतिक वास्तविकताओं का तर्क देकर किया जाता है। चुप्पी साधे रहने की संस्कृति के चलते ये अभिव्यक्त न की जा सकने वाली जरूरतें बनी रही हैं और इसीलिए इन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए, यद्यपि इनके फैलाव का अनुमान कोई वैज्ञानिक आंकड़ों से नहीं मिलता है।

भारत में महिलाओं की सभी मौतों में प्रसवकालीन मौतों का मादा 2.5 प्रतिशत है। 25 प्रतिशत मौतें बुढ़ापे के कारण और 7 प्रतिशत चोट लगने और दुर्घटनाओं के कारण होती है। 65 प्रतिशत मौतें अन्य रोगों की वजह से होती हैं, जोकि मुख्यतः कीटाणुयुक्त प्रकृति के रोग हैं। आज जबकि बड़ी तेजी से संसाधन समाप्त हो रहे हैं, अतः रोग के वास्तविक फैलाव के तौर पर महत्वपूर्ण और सामाजिक तौर पर अभिव्यक्त की गई जरूरतों पर सबसे पहले गौर किया जाना चाहिए। इस तथ्य को जानते हुए कि मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा मलेरिया, तपेदिक, इत्यादि जैसी छूत की बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए जन-स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा जरूरी सेवाओं को मुहैया करा पाने के परिपूर्ण नहीं है, ऊपर से और जिम्मेदारियां डाल देना वाजिब नहीं लगता है। वैसे भी प्रसवकालीन, स्त्री रोग, गर्भ निरोधक सेवायें हमेशा से प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख की व्यवस्था का एक हिस्सा रही हैं, अतः इसे एक एकीकृत व्यवस्था के रूप में मुहैया कराया जाना चाहिए, बजाय इसे एक विशेष सेवा के तौर पर बधारने के।

पहुंच बनाने के मुद्दे, खासकर गांव और शहरों की गरीब आबदियों की पहुंच बनाने के मुद्दे का तरीका नहीं खोजा गया है। पहुंच का मुद्दा आर्थिक, सामाजिक और भोगौलिक (पेंचीदगियों) में निहित है, अतः सेवायें उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है। विभिन्न वर्गों के बीच की बढ़ती खाई से महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पर काफी गहरा असर पड़ेगा।

उन्होंने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय आबादी एवं विकास सम्मेलन (आई.सी.पी.डी.) में टाल दिया और अब वे सामाजिक विकास विश्व सम्मेलन में इससे पीछे हटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यू.के. का अनुदान सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 3 प्रतिशत तक गिरने की संभावना है।

अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन के इस दौर में, गरीबों की भला किसकों चिंता है। कर्ज के बोझ को घटाने के बुनियादी कदमों पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। गरीबी के जवाब में बाजारों को निहारा जा रहा है। यह तर्क दिया जाता है कि आर्थिक विकास के बिना तो गरीबी दूर ही नहीं हो सकती। लेकिन उनके पास इस सवाल का

दुर्भाग्यवश, अधिकतर मीडिया संगठनों में निर्णय लेने के स्तर पर महिलाएं अभी भी हाशिए पर ही है। यह, इस तथ्य के बावजूद भी कि आज के संचार उद्योग में महिलाओं की काफी भीड़ जमा हुई है। एक तरीका है जिससे इसमें परिवर्तन हो सकता है, यदि महिलाएं एक-दूसरे को जानकारी के वैकल्पिक स्रोतों को मुहैया कराने एवं एक दूसरे तक पहुंच बनाने के लिए आधुनिक संचार का अधिक से अधिक उपयोग करें। इससे जिस तरह मीडिया महिलाओं को प्रदर्शित करता है, उसे बदलने में महिलाओं की योग्यता भी साबित होगी।

सिफारिशें

1. **मीडिया का अंतर्राष्ट्रीयकरण**

यह सुनिश्चित करना कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सीमाओं के बाहर जानकारी, ज्ञान और मनोरंजन मुहैया कराते वक्त स्थानीय संस्कृतियों और मूल्यों को बर्बादी के गर्त में न झोंके। यह देखना कि इससे सामाजिक परिवर्तन और महिलाओं और पुरूषों के बीच समानता को बढ़ावा मिल रहा है या नहीं। यह मांग करना कि उनके कार्यक्रम मनोरंजन के अलावा ज्ञान और जानकारी मुहैया करायें।

क्या कार्यवाही की जाए ?

- सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समूहों को मीडिया पर नजर रखने वाले ऐसे समूह स्थापित करने चाहिए, जो यह सुनिश्चित के लिए सेटेलाइट की छवियों की निगरानी करें कि ये अन्य सांस्कृतिक और मूल्यों की व्यवस्थाओं के प्रति संवेदनशील हैं और महिलाओं की चिंताओं को प्रदर्शित करते हैं।
- मुख्य धारा और वैकल्पिक मीडिया के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर महिलाओं को जोड़ने के प्रयासों को मजबूत करना, जिससे वे मीडिया में जेंडर, पर्यावरण और विकास में मुद्दों को दर्शाने में अपने अनुभव, ज्ञान और रणनीतियों का आपस में आदान-प्रदान कर सकें।

2. **जन-संचार माध्यमों में महिलाओं के सकारात्मक तस्वीर को बढ़ावा देना**

- महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित मुख्यधारा के मीडिया के वर्तमान रूख को बदलना। जन-मीडिया के सभी रूपों में महिलाओं के जेंडर ढर्रे को बदलना सुनिश्चित करना। यह देखना कि महिलाओं की परंपरागत और देशज मीडिया समेत संचार टेक्नालॉजी के सभी तौर तरीकों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच हो गई है, ताकि वे उत्पन्न करने वालों और उत्पादकों की हैसियत में आ सकें, न कि मीडिया संदेशों को बस ग्रहण करने वालों और उपभोक्ताओं के तौर पर ही बनी रहें।

क्या कार्यवाही की जाए ?

(जैसाकि रणनैतिक लक्ष्य पहले ही बताये जा चुके हैं, उसके अलावा)

- राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर महिला और उपभोक्ता समूहों के मीडिया की निगरानी के प्रयासों को समर्थन दें और उनकी खोजों के आधार पर सुधार के तुरंत प्रयास करें।
- खासतौर पर युवाओं के बीच मीडिया-जागरूकता, प्रशिक्षण का प्रचार-प्रसार करें, जिससे मीडिया संदेशों के विचारशील उपभोक्ताओं के श्रोता आधार का निर्माण हो सके।
- जेंडर-संवेदनशील मीडिया के कार्यक्रमों (सोफ्टवेयर) को खड़ा करने के लिए मीडिया निर्माताओं को प्रोत्साहन और छूट दें और स्थानीय और क्षेत्रीय स्तरों की ऐसी सामग्रियों का आदान-प्रदान करने के लिए साधन मुहैया कराएं।

3. मीडिया तक पहुंच बनाने और उसमें रोजगार पाने को लोकतंत्रीय बनाना और मीडिया संगठनों में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं और सीमांतक समूहों की सहभागिता।

क्या कार्यवाही की जाए ?

- व्यापारिक और राजनैतिक स्वार्थों के जन संचार माध्यमों पर एकाधिकार को तोड़ने के लिए मलकियत के दूसरे स्थानों को खोजना, जैसे सहकारिता और उपाय करना।
- समाचार कक्ष और उत्पादन कार्यालयों में प्रतिनिधित्व में समानता सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को लक्ष्य के तौर पर किराये पर लेने हेतू मीडिया घरानों को प्रोत्साहित करना।
- यह सुनिश्चित करें कि जिससे महिलाएं जरूरी प्रशिक्षण और उज्जवल भविष्य के अवसरों के साथ मीडिया घरानों में निर्णय लेने की हैसियत से बेहतर प्रतिनिधित्व में हों।
- यह सुनिश्चित करें कि मीडिया विकासीय चिंताओं को प्रदर्शित करता है और विकास में महिलाओं का योगदान है।

WOMEN AGAINST SAP

An open Letter to the World Bank and the International Monetary Fund by NGO's

We are NGO participants at the 39th Session of the Commission on the Status of women currently in progress at the United Nations, New York. We would like to bring to your attention the following issues that have been repeatedly raised by the women participants representing hundreds of communities across the globe. At the Copenhagen World Summit on Social Development, held in March this year, national governments, responding to public opinion in their countries, recognised the need to "place people at the centre of development and direct our economies to meet human needs more effectively."

Clearly, IMF and World Bank policies, as they are designed, cannot accommodate this agenda. Structural Adjustment Policies (SAP) and stabilization measures were introduced primarily to stabilize economies, increase foreign exchange reserves and promote economic growth. What has resulted, however, is an increasing social stratification of society and growing immiserzation of the poor.

We oppose WB/IMF fiscal policies that have reduced public employment, the public provision of goods and services and encouraged the accumulation of private wealth by way of SAP-influenced taxation. The WB/IMF trade and investment policies have accelerated export-led growth and promoted direct foreign investments in our countries leading to destabilization of national industrial R&D, and so on. Deregulation has promoted a favourable climate for business at the cost of lowering standards in living conditions. Since women constitute an estimated 70 per cent of the world's poor, the adverse consequences of these policies are borne primarily by women and other marginalised groups. In short, integration with the global economy has meant disintegration of communities in the short term.

We highlight a few issues for your immediate consideration:

EMPLOYMENT: It is undeniable that the impact of SAP on employment has been negative. Workers will have to endure greater hardships because of the closures of public sector enterprises, growing capital intensive technologies and the pressures of globalization. International market forces and not local needs are dictating choices for the majority of the poor. In the present climate of global recession and increasingly protected markets in various developed countries, more women have been forced into subcontracted work for larger industries.

SOCIAL SECURITIES: Reduced subsidies have forced the poor to spend more on basic consumption and health care. Prices of food have escalated sharply. Cuts in budgetary bases for social security programmes have aggravated the attendant problems of the indigenous peoples, the minorities, and the poor in societies already disturbed by persistent poverty and growing unemployment. Given the increase in female- headed households, it is women who face an aggravation of existing burdens.

ENVIRONMENT: Given the emphasis on export-oriented industrial growth and market economy development strategies, the impact on the environment continues to be adverse. Industrial pollution and the depletion of already scarce natural resources are only some of the consequences of this. The very survival of common property resources is at stake. For instance, the mega- development projects initiated by the WB have caused unprecedented displacement of peoples and the destruction of the environment in many countries. Clearly, deregulation by

गरीब महिलाएं अस्वस्थ ही रहेंगी

तीसरी दुनिया की महिलाओं के स्वास्थ्य का वास्तविक नज़रिया प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन पर भारतीय आलोचना और स्वास्थ्य के लिए मांगें विचार विमर्श हेतु मसौदा

जबकि विकास से जुड़े सवाल बाजार व्यवस्था और इसकी जरूरतों से ही निर्देशित हो रहे हैं, ऐसे में क्या महिलाओं के हित सुरक्षित रह पायेंगे ?

महिलाओं के गिरे स्वास्थ्य की समस्याएं आज के सामाजिक-आर्थिक ढांचे में उनकी अधीनस्थ स्थिति के फलस्वरूप ही बनी हुई हैं, ऐसे में इस ढांचे को और पुख्ता तथा मजबूत बना देने से क्या महिलाओं की मुक्ति की संभावनायें बन पाएंगी ?

ढांचागत समायोजनों के बाद से गरीबों को न्याय की संभावनाएं सिमटती चली जा रही हैं, जिसमें गरीब महिलाएं मर रही हैं, या पुरूषों के साथ खत्म हो रही हैं। महिला होने के नाते प्रताड़ित हो रही हैं या सभी गरीबों की तरह वो तीव्र गति से प्रताड़ित हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा जिस तरह से महिलाओं के हितों को दबाया जा रहा है, क्या उसके खिलाफ महिलाओं को आवाज नहीं उठानी चाहिए ?

प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने और बहुसंख्यकों की जीवन-दशा बेहतर बनाने के लिए विकास प्रक्रिया के जरिए ढांचागत की विकृतियों में सुधार करने की बात तो समझ में आती है, लेकिन ढांचागत तौर पर इसे इस तरह से समायोजित करना, जिसमें कुलीन तबके के लोगों को ही ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, यह बात गले से नहीं उतर रही है। यह कैसी राजनीति है कि जिससे ढांचागत समायोजन को परिभाषित करने के अपने अधिकार से उन्हें वंचित किया जा रहा हैं ? उन्हें प्रजनन के एजेंट के तौर पर ही क्यों देखा जा रहा है ?

हिमायतियों के इस युग में इन सवालों को "बेकार की बातों" और "विषय से परे के सवालों" का ठप्पा मढ़ दिया गया है। सामूहिक उपयोगिता की यह मांग है कि हम यह एहसास करें कि गरीबों के पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है और हम इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था द्वारा उनके लिए खड़ी की गई सीमाओं के भीतर ही काम करने को स्वीकार करें।

क्या यही सन 1995 के महिलाओं के इस चौथे विश्व सम्मेलन का यथार्थ हैं ? अगर नहीं, तो सभी चिंतनशील लोगों को इस मुहाने पर यह बोलना और पुनः स्थापित करना जरूरी है कि किसी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों के लोगों की उन इच्छाओं को दबाने का अधिकार नहीं है, जिसे वे खुद लेकर चलना चाहते हैं। उपरोक्त मुद्दे उन सभी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जिनके स्वास्थ्य उनके घर-परिवार और समाज विशेष के भीतर ऐसे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक वास्तविकता का परिणाम है।

महिलाओं और बच्चों पर ढांचागत समायोजना के कहर की बात किसी एक व्यक्ति के दिमाग की उपज नहीं है। अफ्रीकी देशों, फीलिपींस, दक्षिण कोरिया और ब्राजील से प्राप्त अध्ययनों से पता चलता है कि मलेरिया, निमोनिया, डायरिया, तपेदिक, खसरे, शिस्टोसोमायसिस जैसे रोगों के कारण उनकी मौत की दर बढ़ी है। बाल-शिशु मौत की दर में गिरावट पहले की अपेक्षा नहीं घट रही है।

स्वास्थ्य सेवा महंगी हो रही है और स्वास्थ्य क्षेत्र के निवेश में कमी आई है। स्वास्थ्य क्षेत्र के भीतर संसाधनों का इस तरह के निर्धारण किया गया है कि जिससे बुनियादी सेवाओं और जन-स्वास्थ्य पर इसका बड़ा गहरा असर पड़ा हैं, वहीं आधुनिकता की तथाकथित बीमारियों, (जैसे : हृदय संबंधी केन्द्रों, गुर्दा अबला-बदली इकाईयों, कैंसर संस्थानों, वगैरह) से निपटने के संस्थानों को उच्च प्राथमिकता मिली है। पोषणता का स्तर गिरा है, खासकर महिलाओं और बच्चों का और भोजन लेने की मात्रा घटी है।

सामाजिक सम्मेलन के परिणामों को तो पहले ही सील बंद करके दबा दिया गया है। संयुक्त राज्य अमरीका समेत कई विकसित देश अन्य देशों के विकास में अपने राष्ट्रीय आय के 0.7 प्रतिशत के योगदान के अपने वादे से पीछे हटने का प्रयास कर रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि महिलाओं का यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ....

- जल/जंगल/जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के गलत ढंग के अतिशोषण को रोकने की मांग करें, जिनपर भारी-भरकम आबादी की आजीविका टिकी हुई है।
- भोजन की सुरक्षा की मांग करें। यह कोई पोषक गोलियों के बटवारे जैसा साधारण मुद्दा नहीं है, बल्कि अपने जमीन की सुरक्षा करने, अपनी जरूरत का अनाज पैदा करने और जन-वितरण की ऐसी प्रणाली को रखने में लोगों के अधिकार को सुनिश्चित करें, जिसमें इनके हकदार भी शामिल हों और जिससे उनकी जरूरतों की पूर्ति होती रहे।
- पीने योग्य पानी की आपूर्ति की मांग करें, जोकि धीरे-धीरे एक दुर्लभ संसाधन होता जा रहा है और जो कि विषैले उद्योगों के अनियंत्रित फैलाव से प्रदूषित हो रहा है।
- इन महिलाओं के लिए बेहतर जीने और काम करने की परिस्थितियां खड़ी करें, जो असंगठित क्षेत्र के उद्योगों में कम मजदूरी और ज्यादा व्यावसायिक जोखिमों के साथ काफी भारी तादाद में धकेली जा रही हैं।

Making SOUTH Concerns EVERYONE'S Concerns

THIS IS THE NEW WORLD ORDER

- ★ Expansion of markets and the role of fiscal institutions, on the one hand, shrinking spaces for the poor, especially women, on the other.
- ★ Integration into the world economy on unequal terms means threatened livelihoods for women.
- ★ A growing debt burden leads to a constant, unrelenting process of marginalisation.
- ★ Women's unpaid work remains unaccounted for in national GDPs.

WOMEN ARE DEPRIVED OF THEIR BASIC RIGHTS

- ★ The right to food and clean drinking water.
- ★ The right to shelter.
- ★ The right to a livelihood.
- ★ The right to peace and a conflict-free existence.

WOMEN'S HEALTH IS UNDER THREAT

- ★ Chronic undernutrition
- ★ Persistent anaemia.
- ★ High maternal mortality rates.
- ★ Endemic diseases.
- ★ The problems are compounded by inadequate public health systems.

WOMEN ARE VICTIMS OF MANY KINDS OF VIOLENCE

- ★ Violence unleashed by poverty and patriarchy
- ★ Sexual violence.
- ★ Violence perpetrated by the State, religion and ethnic practices
- ★ Violence caused by intrusive reproductive policies

WOMEN HAVE NO ACCESS TO EDUCATION, KNOWLEDGE, AND SKILLS

- ★ Drudgery marks the lives of children, especially girls. They work in farms and factories when they should be in school.
- ★ Illiteracy and ignorance leads to women's continued disempowerment.
- ★ Women are denied the value of their skills.

WOMEN HAVE NO POLITICAL POWER

- ★ Therefore they have no control over policies that control their lives.
- ★ Women are victims of the growing criminalization of politics.

ENVIRONMENTAL DISTRUCTION AFFECTS WOMEN FIRST

- ★ Women are loosing access to and control over natural resources.
- ★ Women suffer because of a diminishing resource base thanks to the dominant paradigm.
- ★ Unequal patterns of consumption make poor women poorer.
- ★ Science and technology are military - and industry-centered and neglect women's concerns.

MEDIA DISTORTS WOMEN'S LIVES AND PRIORITIES

- ★ Sex and violence are integral to media-driven mass entertainment.
- ★ It commodifies women and perpetuates stereotypes.
- ★ Mass media is controlled by powerful transnationals and reflects their interests.

PUT WOMEN FIRST, NOT MARKETS

जवाब नहीं है कि इस बाजार का "लाभ" उन लोगों तक कैसे पहुंचेगा, जो इसका हिस्सा ही नहीं है ? या उन तबकों का क्या हश्र होगा, जो वास्तव में इन आर्थिक नीतियों के पहले शिकार होंगे ? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में 1.3 बिलियन (130 करोड़) लोग ऐसे हैं, जो गरीबी में घुट-घुट कर जी रहे हैं और इन उपेक्षितों में 70 प्रतिशत तो महिलायें ही हैं।

क्या न्यायपूर्ण विकास के मुद्दे की इस कदर उपेक्षा की जा सकती हैं ? यहां तक कि व्यापारिक उदारीकरण के मुद्दे को बड़े चुनिंदा तरीके से निपटाया जा रहा है। अगर यह विकसित देशों के हित में हुआ तो समझ लीजिए स्वीकार हो गया, लेकिन अगर यह इन देशों के हितों के विपरीत है, तो उस पर मंजूरी मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। इन व्यापक आर्थिक मोर्चा पर ऐसी उदासीनता क्या दुनिया के उपेक्षितों की गरीबी-गरीब महिलाओं और उनके स्वास्थ्य की समस्याओं से निपटने के पक्ष में हैं ?

उपरोक्त के मद्देनजर यह जरूरी है कि विशेष रोगों और गर्भाधारण के खतरों पर सुरक्षा के बिखरे तौर-तरीके लादने की बजाय स्वास्थ्य की हमारी चिंता सभी महिलाओं और पुरूषों के लिए लाभकारी काम की मांगों के रूप में अभिव्यक्त होनी चाहिए। यह मुद्दा इस तथ्य के मुद्दे नजर ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत में इस मान्यता के आधार पर एकल परिवार के एक सदस्य की न्यूनतम मजदूरी आंकी जाती है कि मानों दोनों प्रौढ़ रोजगार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महिला श्रमिकों की संख्या श्रम शक्ति में घट रही है। गरीबी की महिलाओं में विशेष फैलाव को तो मान्यता दी गई है, लेकिन इनकी गरीबी की सफाई पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता है। फलस्वरूप, ज्यों-त्यों बाजार ताकतों का आधिपत्य होता जायेगा, अधिक से अधिक महिलायें अस्वास्थ्यकर और दबावपूर्ण परिस्थितियों में पिसती चली जाएंगी और तब महिला कामगारों की स्वास्थ्य समस्याओं पर लीपापोती के उपायों की चर्चा होने लगेगी।

फैलने वाली बीमारी में सिर्फ एड्स का ही जिक्र किया गया है, लेकिन यह तो घटित स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों से जुड़ा मसला है, जिसपर समुचित रूप से कोई जोर ही नहीं दिया गया है।

यहां तक कि न्यूयॉर्क में कार्यवाई मंच दस्तावेज़ के मसौदे (ड्राफ्ट प्लेटफार्म फॉर एक्शन) पर होने वाली चर्चा में भी समस्यायें है। बुनियादी रोकथाम और उपचार सेवाओं को मुहैया कराने में राजसत्ता की जिम्मेदारी को अनदेखा किया जा रहा है, खासकर गरीबों को सेवाएं मुहैया कराने के मामले में, जबकि अन्य विकसित देश सामाजिक सेवाओं में राजसत्ता के नियंत्रण की दिशा में बढ़ रहे हैं, अतः बीमारी दुनिया की सरकारों को अपनी जिम्मेदारी गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्रों के सुपुर्द करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

इसी प्रकार छूत की बीमारियों से निपटने की तत्काल जरूरत को दबा दिया गया है कि मानसिक तकलीफ और बीमारियों की चिंताओं पर ज्यादा जोर दिया जा रहा हैं, जोकि इस युग विशेष की देन है। ये दोनों ही सामाजिक तनावों की उपज हैं, जिसके लिए कोइ दवा कम करने वाली नहीं।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की वरीयता अलग दृष्टिकोण के बदले एक समग्र दृष्टिकोण पर बिना शर्त टिकाकर स्वीकारी जानी चाहिए, जिसे अभी तक नहीं किया गया है।

उपरोक्त में पक्षपातपूर्ण रवैये के अलावा ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि महिलाओं को मुख्यधारा से पूरी तरह से अलग किया जा रहा है। उनकी खास समस्याओं और उनके सांस्कृतिक सीमांतीकरण से महिलाओं और पुरूषों की मिली-जुली समस्यायें और गंभीर हो रही है।

आज विभिन्न वर्गों के सामाजिक और आर्थिक झगड़ों और स्वास्थ्य की उस राजनीति से निपटने की जरूरत को अनदेखा किया जा रहा है, जिसमें गर्भ निरोध की कारगरता इसकी सुरक्षा से ज्यादा, वांछनीय है और जिसमें दवाईयां तकलीफों को नियंत्रित करने का साधन होने के बजाय लाभ बटोरने का साधन हो चली हैं। दूसरे शब्दों में नेक इरादों को अभिव्यक्त तो किया जा रहा है। लेकिन ये कोई स्वस्थ विश्लेषण से नहीं निर्देशित हो रहे हैं। सामाजिक समस्याओं के बुनियादी कारणों को इसी कारण से अभी तक छुआ तक नहीं जा सका है। ये ही प्रक्रियाएं, जोकि गरीबी के लिए जिम्मेदार रही हैं, गरीबी के महिलाओं में फैलाव के लिए भी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। गरीबी पर आघात किए बगैर गरीबी का महिलाओं में फैलाव के मुख को उलटाया नहीं जा सकता है।

जो लोग यह तर्क देते हैं कि महिलाओं की उनके जंजीरों को तोड़ने में मदद की जा सकती है, जिसमें वे जकड़ी हुई हैं, समझ लीजिए कि ऐसे लोग सिर्फ नियंत्रण की रणनीतियों को नारीत्व जामा पहनाने का प्रयास कर रहे हैं।

बिगड़ती आर्थिक दशाओं में यदि महिलाओं को सामाजिक विकास का निशाना बनाया जाना है, तो इसका परिणाम यह होगा कि ये इसमें उलझी रहेंगी। यह नये तरीके का विकास और नए तरीके की शांति काफी महंगा मिथ्यांडबर हैं और महिलाओं को इसे पूरी तरह से परखना होगा।

(देश भर में विभिन्न महिला संगोष्ठियों, सम्मेलनों, परिचर्चाओं से निकलकर आए मुद्दों और सुझावों का सारांश)

चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन

पेइचिंग, चीन एन.जी.ओ. फोरम अगस्त 30 - सितम्बर 8, 1995 4-15 सितम्बर 1995,

समानता, विकास एवं शान्ति के लिए कार्यवाही

महिला सम्मेलन - भावी शताब्दी के कार्यक्रम का निर्धारण

सितम्बर, 1995 में महिलाओं पर जो चतुर्थ विश्व सम्मेलन पेइचिंग में हो रहा है, उसमें विश्वभर से महिलाएं और पुरूष भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले इस बात का मूल्यांकन करेंगे कि महिलाओं के जीवन में गत दशक में क्या परिवर्तन आया। साथ ही उनसे सम्बन्धित विचारणीय विषयों को अन्तर्राष्ट्रीय सूची में रखने के लिए प्रयत्न करेंगे।

क्या महिलाओं की स्थिति सुधरी है या बिगड़ी हैं ? इस सम्बन्ध में मिलीजुली प्रतिक्रिया है। महिलाओं का एक बहुत बड़ा भाग अशिक्षित है और उनमें से ऐसे अधिकांश राजनीतिक स्तर पर दिखाई देते हैं। साथ ही पहले से कहीं अधिक आज महिलाएं गरीब दृष्टिगोचर होती हैं। यही नहीं, महिलाओं के मानव अधिकारों पर भी अभूतपूर्व रूप से अतिक्रमण हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं पर प्रकाशित परिपत्र एक दशक - 1976-1985 के अन्तर्गत कुछ क्षेत्रों में निसंदेह अभूतपूर्व उन्नति हुई है, किन्तु कई क्षेत्रों में पथ भ्रष्टता के चिन्ह भी मिले हैं।

"पेइचिंग सम्मेलन में लिंग के आधार पर जो भेद किया जाता है, इसे दूर करने के उपायों पर विचार विमर्श करेंगे और साथ ही इक्कीसवीं शताब्दी में पुरूषों और महिलाओं के मध्य एक नई सहभागिता आरम्भ करने का भी प्रयत्न करेंगे।" ये शब्द सम्मेलन की सेक्रेटरी जनरल गेरट्रयूड मोंगेला ने व्यक्त किए। "भावी पीढ़ी को यह काम सौंपा जायेगा कि गत दो दशकों में जो उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं उन्हें और आगे बढ़ाया जाय। लिंग समानता का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, यदि महिलाओं के जीवन स्तर में कोई सुधार लाना है, तो इस भेद से छुटकारा प्राप्त करना होगा।"

सन 1975 से, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया था और जब महिलाओं पर मैक्सिकों में प्रथम विश्व सम्मेलन सम्पन्न हुआ, तब से यह चेतना तो बढ़ी ही है कि महिलाओं और उनके बच्चों के साथ जो कुछ होता है, उसका राष्ट्र की खुशहाली पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है।

संयुक्त राष्ट्र ने 'महिलाओं का दशक' विषय पर तृतीय विश्व सम्मेलन सन 1985 में नैरोबी में किया, जिसमें 'समानता', 'विकास' और 'शान्ति' चर्चा के मुख्य विषय थे। श्रीमती मौंगेला, जिन्होंने नैरोबी सम्मेलन में अपने देश के प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया था और जो भारत में तनजानिया संयुक्त गणराज्य की उच्चायुक्त भी रही, पेइचिंग सम्मेलन की सेक्रेटरी जनरल सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बुतरस बुतरस घाली द्वारा नियुक्त की गई।

आज महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास में निष्क्रिय भागीदार समझा जाता है, जबकि बुद्धि, ज्ञान, निपुणता और शक्ति में वे कम नहीं। वे पारिवारिक, सामुदायिक और राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यशील हैं। वे अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित संसार पाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं।

प्रगति और रूकावटें

पेइचिंग में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश उन प्रवृतियों का अध्ययन करेंगे जिनका प्रभाव महिलाओं की प्रतिष्ठा पर पड़ता है, ताकि भविष्य के लिए उनका निराकरण किया जा सके। वे इस बात का सर्वेक्षण करेंगे कि महिलाओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, पारिवारिक, राजनीति और मानव अधिकार के क्षेत्र में क्या उपलब्धियाँ हासिल की है। बावजूद 20 वर्षों में हुई प्रगति के, उत्तर व दक्षिण, ग्रामीण व शहरी, अमीर व गरीब की विषमता, महिला को हर जगह प्रताड़ित किया करती है !

इस सम्मेलन में, उन चिरस्थाई समस्याओं की ओर ध्यान दिया जायेगा, जिनसे विश्व की सभी महिलाओं को सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं की एक अनुपातहीन संख्या या तो रोजगार में है या अर्थव्यवस्था के किसी अनौपचारिक सैक्टर में कार्यरत हैं। पर्यावरण का अधःपतन महिलाओं को चोट पहुंचा रहा है। विशेषकर उन्हें जो कृषि में कार्यरत हैं। सभी क्षेत्रों में हो रही पारस्परिक लड़ाई महिला शरणार्थियों की संख्या बढ़ाती है। बावजूद महिलाओं के अधिकारों, उनकी आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक समानता पर कानून पास होने की सफलता के, यर्थाथता में अब भी भेदभाव विद्यमान है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा, जबकि पहले की अपेक्षा इस ओर सबका ध्यान अधिक गया है, अब भी जारी है और कुछ स्थानों में बढ़ी भी है।

THE UNFINISHED CIRCLE

Mrs. Marykutty Philip
General Secretary, Nurses Union

Philosophers define time as sequence of movements, as before and after, Movement in their jargon is any change in substance, accidents, places, persons etc. etc. But this sequence is continuous and unrelenting. Any effort to interrupt is futile. Every working woman is fully conscious of this futility - she has borne its brunts.

Ordering the sequence of jobs at hand each day is the biggest challenge before a working woman. Priorities are there nagging her every moment. As a mother she looks deep into the pleading eyes of her kids. They deserve her attention and her heart goes out to them. Being a wife is not all romance she realises while going hurriedly through her house-hold chores, which probably is the biggest drain on her time. Its encroachment is so poignant she realises only when she misses the bus for her workplace. Like a wounded soldier she hires conveyance and this extra buck on her limited resource licks her wounds all the way through.

When we think of working women, nurses are the first to come to our mind as this profession is almost entirely reserved for them. Nurses are professionals to organise and carry out patient care. They are in direct touch with the patients through out their stay in the hospital. Morning, evening or night - any time is work- time for them as per the scheduled shifts. This obviously should entitle them for living accommodation near the hospital on top priority. But our hospitals have long neglected this basic service condition for nurses.

When hospitals in Surat were fighting Plague, several nurses contracted that deadly disease. In western countries nurses are taking up other professions due to AIDS scare. Being directly in touch with patients, even before their illness is finally diagnosed, nurses' stake of contracting disease is very high. But they are hardly allowed any compensation even in the form of risk allowance.

The above points are cited not for their redressal but to show that being a profession reserved for ladies, collective bargaining is a rare feature, depriving them of even essential components from their pay package.

Being a member of the weaker sex, the male-dominated society does not expect her to organise or establish her identity. The traditional role of house-wife has been indelibly stamped on her with the additional role of a full time worker to cope with the rising expenditure of today's micro-families. There is not a moment to spare and look back at her own fate. Gluttony of the exploiters have ample room here for exploitation and ill- treatment.

Nurses rarely step out to Trade Union Movement and collective bargaining due mainly to lack of time. The sequence of movement referred at the begining does not permit any elasticity. Exhausted by continuously attending to the manifold and unending trail of activities, she succumbs to her fatigue and falls at the end dead asleep oblivious to the still outstanding odd jobs, inviting grumbles and accusing fingers.

Politicians have thought of giving her more time to recouperate after delivery with a maternity leave of 6 months. But the legislation is trapped in tangles of bureaucracy. Govt has set up toothless commissions for her to enrich the vote-bank. Management in hospitals assure recognition to their union, as there is no valid reason to deny it(which will give the executives some spare time for organisational matters), but they linger on indefinitely. High thinking but no action and there is no let up in the anguish of working women. This agony is plain talk and very much in front of these highly placed professional executives. They would surely swear against enjoying cruelty to women, but the situation, analised as it is, smacks of nothing but that.

रिकार्ड लैटिन अमेरिका में पाया गया है और कैरिबियन में भी 20 प्रतिशत भाग महिला मैनेजरों का है।

अब जबकि महिलाएं अधिक संख्या में पारम्परिक व्यवसायों में प्रवेश कर रही है, वे अनौपचारिक कार्यस्थलों में जहां कि असुरक्षा और संकट है, वहां पुरूषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक कार्यरत हैं। दुनिया के कई भागों में सफल उद्यमी व व्यापारी होने पर भी उन्हें प्राय: आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बाधा का सामना करना पड़ता है। पूंजी प्राप्त करने में, व अन्य स्रोत्रों तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती। प्रशिक्षण की कमी, पर्याप्त शिक्षा का न मिलना, पारिवारिक उत्तरदायित्व, सम्पत्ति का असमान वितरण आदि समस्यायें उनकी आर्थिक सम्पन्नता में रूकावट उत्पन्न करती हैं। यद्यपि वे अपने उद्योग के सभी व्यय स्वयं वहन करती हैं तथापि उसके द्वारा प्राप्त लाभ में परिवार के पुरूष भी भागीदार हो जाते हैं।

जब महिलायें औपचारिक रूप से किसी कार्य को ग्रहण करती हैं, तो उनकी अधिकतर इच्छा क्लर्क, घर का कार्य, कृषि का कार्य या कपड़ों के व्यापार निभाने की होती है और ऐसे कार्यों में 70 से 90 प्रतिशत रोजगार में लगे सभी लोगों में से महिलायें पुरूषों की अपेक्षा अधिक देर तक काम करती है, करीब 13 घंटे से कम नहीं। महिलाओं के संगठन और संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीविदों के प्रयत्नों से यह जानने के लिए प्रयत्नशील हैं कि अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रों में कितनी संख्या कार्यशील है और महिलाओं के गृहकार्य, कृषि और प्रजननीय श्रम का किस प्रकार मूल्यांकन किया जाय। पेइचिंग सम्मेलन इस प्रकार के आंकड़ों पर विचार विमर्श करेगा और अन्त में इन तथ्यों के आधार पर राष्ट्रीय लेखा का सदुपयोग राष्ट्रीय नीति के निर्धारण के लिए किया जा सकता है।

महिलाएं और गरीबी

महिलाओं का अनुदान आर्थिक क्षेत्र में तो है ही किन्तु उनकी भूमिका कई अर्थों में अदृश्य भी है। सुव्यवस्थित समाज के हाशिये में रह रही गरीब महिलाएं, प्रवासी महिलाएं और शरणार्थी महिलाएं प्राय: पीड़ित रहती है अपेक्षा पुरूषों के जो इन्हीं स्थितियों में रहते हैं।

विश्व घटनाओं ने महिलाओं को इतना राजनीतिक रंग दिया, जो इतिहास में अभूतपूर्व है

गरीबी एक क्षेत्र है, जहां महिलाओं की नाटकीय ढंग से स्थिति बिगड़ी है। एक ओर महिलायें अधिक समय तक जीवित रहती हैं, दूसरी ओर परिवारों से, पति व पिता से सहायता नहीं मिलती है, इसका एक कारण यह भी है कि पुरूषवर्ग प्रवास में है या बेरोजगार है। गत बीस वर्षों में गरीबी में जीवन बिताने वाली ग्रामीण महिलाओं की संख्या दुगुनी हो गई है और वर्तमान समय में विश्व की एक सौ करोड़ विलियन गरीब ग्रामीण जनता का 60 प्रतिशत भाग महिलाओं का ही है। विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि अत्याधिक गरीबी और प्राय: स्त्रियों के साथ भेदभाव के कारण लाखों लड़कियों और स्त्रियों की विशेषकर प्रौढ़ महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। गरीबी इस बात से भी स्पष्ट हो जाती है कि अधिक से अधिक परिवारों की मुखिया महिलाएं ही है और विश्व में परिवारों का पांचवां भाग महिला मुखियाओं का ही है। अफ्रीका और कैरिबियन के ग्रामीण भागों में ऐसे परिवार और भी अधिक हैं।

"महिलाएं अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी जनसंख्या का अर्द्धभाग हैं" यह तथ्य संयुक्त राष्ट्र जन संख्या कोष (यू.एन.पी.ए.) की रिपोर्ट में निहित है और यह भी कहा गया है कि बहुत से परिवारों की महिला मुखिया प्रवासी श्रमिक हैं। यद्यपि ये महिलाएं आमतौर पर घर अधिक पैसा भेजती है अपेक्षा पुरूष वर्ग के, उन्हें दुगुना, तिगुना और चार गुना भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। केवल लिंग भेद के कारण, वर्ग और जन्म स्थान के कारण, उन्हें पुरूष के अधीनस्थ कार्य करना स्वाभाविक और अनिवार्य हो जाता है। उपरोक्त कोष के निदेशक डॉ0 नफीस सादिक के अनुसार, अब प्रवासी व शरणार्थी महिलाओं के मानव अधिकार और विशेषकर सेक्स शोषण और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं की जानकारी आदि बातों की ओर ध्यान दिया जा रहा है।

राजनीतिक अतिक्रमण

महिलाओं की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति तक पहुंच उस अनुपात से नहीं है, जितना उनका प्रभाव जीवन के अन्य क्षेत्रों में है। शक्ति की दहलीज में और निर्णय लेने में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में महिलाएं बहुत अल्पमत में हैं। किन्तु विश्व घटनाओं और महिलाओं पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र के तीन सम्मेलनों ने उन्हें इतना राजनीतिक रंग दे दिया है, जो कि इतिहास में अभूतपूर्व हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 'महिला-दशक' मनाया और इसी का परिणाम है कि कई सरकारों ने महिलाओं की समस्याओं के निर्वाणार्थ विशेष कार्यालय स्थापित किए। उन्हें विकास की नीतियों का हिस्सा बनाया और महिलाओं की संख्या निर्णय लेने वालों में भी बढ़ाई गई है। क्रियाशील महिलाएं अब प्रशासन के उच्च पदों पर भी आसीन हो रही है और सीमित दायरे से निकलकर अब स्वयं निर्णय लेने की उत्तरदायी बन गई हैं।

अब तक इस दिशा में की गई प्रगति असमान है और अनुपात की दृष्टि से यदि संसदीय महिलाओं का अवलोकन करें तो यह 1975 से 12.5 प्रतिशत से घटकर 1993 में 10.1 प्रतिशत हुई है। नवंबर

शिक्षा : उत्साहजनक प्रवृति

विश्व के अधिकतर भागों में कन्याओं को बालकों की अपेक्षा कम शिक्षा, कम भोजन और उनके स्वास्थ्य पर कम ध्यान दिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 1986 के आंकड़ो के अनुसार भारत, पाकिस्तान और बंगला देश में शिशु कन्याओं का छठा भाग लापरवाही और भेदभाव के कारण समाप्त हो जाता है। फिर भी अधिकतर भागों में शिक्षा की प्रवृति उत्साहवर्द्धक है। 1980 और 1988 के मध्य लड़कियों व महिलाओं का प्राइमरी एवं सेकेण्डरी विद्यालयों तथा स्नातक की परीक्षा में प्रवेशांक एक प्रतिशत से बढ़कर 45 प्रतिशत बढ़ा है, साथ ही जबकि अशिक्षित महिलाओं की संख्या में 1970 के 46.5 प्रतिशत के मुकाबले में 1990 में 33.6 प्रतिशत की गिरावट आई है और आज भी विश्व की दो तिहाई भाग महिलाएं अशिक्षित है और वे पुरूष के मुकाबले धीमी गति से शिक्षित हो रही हैं। ये आंकड़ें अत्याधिक विचारणीय हैं क्योंकि पिता की अपेक्षा मां की शिक्षा का प्रभाव बच्चे के स्वास्थ्य एवं उसकी मृत्यु दर पर अधिक पडता है। इस बात के प्रबल प्रमाण हैं कि यदि महिला शिक्षित होगी तो कम बच्चे होंगे, कम मृत्यु दर होगी। फिर भी विश्व के 37 गरीबतम देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय कृषि कोष के अनुसार स्वास्थ्य सम्बन्धी बजट आधा कर दिया और ऐसा सम्भवतः 1980 के आसपास के वर्षो में आर्थिक मंदी के कारण हुआ। यद्यपि वर्तमान परिस्थितियाँ साक्षरता के अनुकूल हैं तथापि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने भविष्यवाणी की है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास के विभिन्न संगठनों व महिलाओं के संगठनों के सहयोग से सरकारी प्रयत्नों द्वारा केवल 28.2 प्रतिशत महिलाएं 2000 ईसवी तक शिक्षित हो पायेंगी।

मृत्युदर की बढ़ोत्तरी

कुछ क्षेत्रों में तो महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ और कुछ में गिरावट आई। जबकि जीवन दर में बढ़ोतरी हुई है और प्रजनन एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। मां की मृत्यु दर की कमी में कोई प्रगति नहीं हो पाई है। प्रतिवर्ष ही विश्व में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ) के अनुसार कम से कम एक लाख के करीब महिलाएं प्रसव काल की पेचीदगियों के कारण, और एक लाख से अधिक गर्भपात, असुरक्षा के कारण, मृत्यु का शिकार होती हैं। विकासशील देशों में विवाहित स्त्रियां जो गर्भनिरोधक चीजें प्रयोग करती हैं, उनके अनुपात में इस पीढ़ी में बढ़ोतरी तो हुई है परंतु अनुमानतः विश्व की 30 करोड मिलियन महिलाएं अभी तक गर्भनिरोधक से परिचित नहीं और प्रजनन का 1/5 भाग विकासशील देशों में अनियोजित एवं अनचाहा होता हैं। अमेरिका जैसे औद्योगिक देश में भी स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल न होने कारण तथा लिंग भेद का विचार कर सहस्त्रों महिलाएं मृत्यु के गर्त में पहुंच जाती हैं।

किसी एक देश की महिलाओं की समस्यायें दूसरे से भिन्न नहीं, केवल उनकी प्रबलता में भिन्नता है

आज 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएं एच.आई.वी. अथवा एड्स से ग्रसित हैं। विश्व स्वास्थ्य संघ का विचार है कि 2000 ईसवी तक 1 करोड तीस लाख महिलाएं इस महामारी से ग्रसित हो जायेंगी और इनमें से 40 लाख मर चुकी होंगी। इसीलिए पेइचिंग के विश्व सम्मेलन में स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों पर अधिक ध्यान दिया जायेगा। सभी प्रतिनिधिगण यह चाहेंगे कि सम्मेलन में उठाए गए निर्णयों का दूरगामी प्रभाव हो और एक सर्वमान्य हल इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए ढूंढा जाय।

महिलाएं श्रमिक के रूप में

महिलाओं के लिए आर्थिक क्षेत्र में प्रगति सीमित है। सन 1970 से 1990 के बीच महिलाओं का, विशेषकर जिनके बच्चे साथ हैं औपचारिक श्रम में विभिन्न क्षेत्रों मे भागीदारी बढ़ी है। आज विकासशील देशों में 41 प्रतिशत कामगार महिलाएं ही हैं और पूरे विश्व में इनका प्रतिशत 34 है। परंतु जहां तक मजदूरी का प्रश्न है, एक समान काम के लिए इन्हें 30 से 40 प्रतिशत कम वेतन, पुरूष मजूदरों की अपेक्षा मिलता है और विभिन्न स्तरों पर कम वेतन पाने वाले में पुरूष की अपेक्षा महिलाएं ही हैं। ये आंकड़े संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित 'The World's Women' 1970-1990 'Trends and Statistics' पुस्तक में उल्लिखित हैं।

जहां तक असमानता का प्रश्न है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान से भिन्न है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में इसका रूप एक ही है। पुरूषों को साधारणतः पूरे समय का रोजगार मिल जाता है और उन्हें वरिष्ठता और अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं, तथापि महिलाएं भी अब आगे बढ़ रही हैं, वे उन सब रूकावटों को पार कर रही हैं, जो अब तक उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। इसलिए अब वे अपने काम के लिए आदर भी प्राप्त कर रही हैं और नेतृत्व भी उभर रहा है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में सन 1990 में महिलाएं पुरूष के एक डालर की अपेक्षा 72 सैन्ट कमा रही थी जो कि 1985 के मुकाबले में 12 सैन्ट अधिक हैं। 'न्यूयार्क टाइम्स' के अनुसार, जो महिलाएं 24 से 35 आयु की हैं, वे पुरूष के डालर के मुकाबले 80 सैन्ट कमाती हैं। यह कहा जा सकता है कि अमेरिका में कामकाजी महिलाओं का एक तिहाई भाग व्यावसायिक है या मैनेजर के पदों पर। यद्यपि वे उच्च अधिकारियों का केवल 3 प्रतिशत भाग ही है। ऐसी प्रवृति सर्वत्र है करीब 39 से 41 देशों में यही प्रवृति विद्यमान है। महिलाओं के मैनेजर के रूप में अनुपात 1985 और 1991 के मध्य बढ़ा है। जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की रिपोर्ट में लिखित है। सबसे उत्तम

Convention on he Elimination of All Forms of Discrimination against Women

सीडॉ (CEDAW) सार

महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार के भेदभाव को दूर करने हेतु समझौता, वास्तव में महिलाओं की विकास प्रक्रिया में भागीदारिता व उनके अधिकारों के ढांचे का एक अंतर्राष्ट्रीय बिल है। "संयुक्त राष्ट्र महिला दशक" के दौरान यू.एन. (संयुक्त राष्ट्र) कमीशन व अंतर्राष्ट्रीय महिला संस्थाओं के अथक प्रयास व कड़ी मेहनत के बाद महिलाओं की स्थिति पर संक्षिप्त तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार हुआ। अब करीब नब्बे देशों ने मिलकर इसके प्रति विश्वास व समर्थन व्यक्त किया है। समझौता महिलाओं और पुरूषों में समानता प्राप्त करने के सिद्धांतों तथा मानदंडों की चर्चा को मद्देनजर रखते हुए किया गया है।

वैसे तो सम्मेलन की सहमति संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा 19 दिसम्बर 1979 के दौरान ही हो गई थी, परंतु 3 दिसम्बर, 1981 के समझौते के बाद ही इसने जोर शोर से काम करना शुरू किया। 30 दिन के बाद ही करीब 20 देशों के सदस्यों ने इस समझौते के प्रति अपना विश्वास तथा समर्थन व्यक्त किया। जुलाई 1993 में 126 देशों ने भी इसके लिए समर्थन और विश्वास प्रकट किया तथा कई अन्य देशों ने इस वार्ता/समझौते के लिए हस्ताक्षर किये।

लगातार देशों द्वारा समझौते के प्रति रुझान और सहमति को देखते हुए सरकार को महिलाओं के प्रति भेदभाव को खत्म करने के लिए नीति बनाने पर बाध्य होना पड़ा। महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करने के लिए बनी संयुक्त राष्ट्र की कमेटी सीडॉ को इसके लिए सुनवाई और विकास की जिम्मेदारी सौपी गई। समर्थन प्राप्त होने के एक साल बाद ही राष्ट्रीय सरकारों से रिपोर्ट प्राप्त होती है तथा उसके बाद हर चार वर्षों के बाद। वार्ता पर हस्ताक्षर करने के बाद सरकारों का यह दायित्व हो जाता है कि वे बनाये गये नियमों व अनुच्छेदों का उल्लंघन न करें।

महिला भेदभाव दूर करने हेतु किये गये समझौते के शर्तों के अनुसार 23 सदस्यों की कमेटी सीडॉ (CEDAW) का नामांकन हुआ तथा हस्ताक्षर करने वाले देशों की राष्ट्रीय कमेटी द्वारा सदस्यों को चुना गया। सीडॉ कमेटी का मुख्य उद्देश्य उन देशों की रिपोर्ट्स का मुआयना या समीक्षा करना है, जो इस समझौते का समर्थन करती है। सीडॉ कमेटी की बैठक प्रतिवर्ष न्यूयार्क या वियना में उन सदस्यों के साथ होती है, जो चार वर्षों तक के लिए चुने गये हैं। परंतु सदस्यों का चुनाव दोबारा हो सकता है। चुने हुए सदस्य सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते है बल्कि वे व्यक्तिगत तौर पर कमेटी से जुड़े होते हैं। सरकार की रिपोर्ट विश्लेषण करने के अलावा सीडॉ कमेटी के सदस्य कमेटी के सामने सरकार के उपस्थित सदस्यों से प्रश्न पूछते हैं और उसका पूर्ण ब्यौरा कमेटी के सामने पेश करते हैं।

सीडॉ कमेटी हर वर्ष अपने अवलोकन/समीक्षा के आधार पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करती है और अपनी सलाह को संयुक्त राष्ट्र के आधार पर विश्लेषण व अवलोकन कर देशों के समक्ष रख सकती है। वार्ता के दौरान तैयार 30 अनुच्छेदों को संक्षिप्त में दिया गया है।

वे सभी देश जो समझौते के समर्थक हैं, "महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के भेदभाव के विरोध में एक ऐसी नीति को लागू करना चाहते है जो इन बुराइयों को दूर करे" (अनुच्छेद 2)। समझौते के तहत तैयार किये पहले पांच अनुच्छेद में महिलाओं पर होने वाले भेदभाव के बारे में सामान्य जानकारी तथा राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा उन्हें दूर करने के लिए सामान्य जिम्मेदारी को बताया है। बाकि 13 अनुच्छेदों में महिलाओं के लिए गठित कमेटी की कार्य करने की शैली तथा प्रशासकीय ढांचे की स्थापना के बारे में विस्तार से बताया गया है।

अनुच्छेद - 1 भेदभाव की परिभाषा

ऐसी असमानता, जो कि स्त्री व पुरूष का लिंग आधार पर बहिष्कार करे तथा जिसका उद्देश्य व प्रभाव मानव जीवन के किसी भी क्षेत्र में उसके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले मूल अधिकारों का हनन करना हो।

अनुच्छेद - 2 भेदभाव रोकने के लिए नीति निर्धारण

राज्य संविधान के तहत समानता के सिद्धांत को साकार रूप प्रदान करना, उसके लिए धारा तथा नियमों को समावेश करना तथा व्यापक तौर पर यह सुनिश्चित करना कि इनको लागू किया जाये।

ऐसी संस्थाओं को आधार देना जो भेदभाव के विरूद्ध सुरक्षा दें।

यह निश्चित हो कि सार्वजनिक तथा अधिकारी संस्थाओं द्वारा पहले भेदभाव दूर हो।

ऐसी सभी कानून, रीति-रिवाज तथा नियमों पर रोक लगाये जो महिलाओं के प्रति भेदभाव पैदा करें।

अनुच्छेद - 3 पुरूषों के समान मूलभूत मानवीय अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी।

1993 में केवल छः राष्ट्राध्यक्ष हुए और संयुक्तराष्ट्र के 184 सदस्य देशों में से केवल आठ ही स्थाई महिला प्रतिनिधि हैं। महिलाओं का मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय विधानसभा में चुने हुए महिला प्रतिनिधियों की संख्या से आधे से भी कम का प्रतिनिधित्व रहता है। आज 100 देश ऐसे भी हैं जहां कोई भी महिला संसद में नहीं है।

इसमें संदेह नहीं कि अपवाद भी हैं। अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय संघ के अनुसार 1993 में सेचेलीज (Seychelles) के संसद में महिला सांसदों का प्रतिशत 45.8 था। इसी प्रकार से नौरडिक देशों में भी यह प्रतिशत लगातार बढ़ रही है। फिनलैण्ड में महिला सांसद 39 प्रतिशत है और अमेरिका में सन 1992 का वर्ष महिला सांसद वर्ष रहा, क्योंकि इस वर्ष अन्य वर्षों के तुलना में महिलाएं चुनाव जीती हैं। वहां नये प्रशासन में महिलाओं की उचित भागीदारी है। यह एक विशिष्ट बात है कि विकासशील देशों में औद्योगिक देशों के अपेक्षा महिला सांसदों का प्रतिशत 12 है और औद्योगिक देशों में 9 प्रतिशत है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर और संयुक्त राष्ट्र में भी यद्यपि स्थिति निरूत्साहजनक है फिर भी पहले की अपेक्षा महिलाएं उच्च पदों पर आसीन हैं। सन 1993 के अन्त में संयुक्त राष्ट्र में 6 महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं आसीन रही। संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल यह चाहते हैं कि 2000 ईसवी तक 50 प्रतिशत महिलाएं उच्च पदों पर आसीन होंगी। 1975 में संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल यह चाहते है कि 2000 ईसवी तक 75 प्रतिशत महिलाएं उच्च पदों पर आसीन हों। 1975 में संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय में 10 प्रतिशत महिलाएं उच्च पदों पर कार्यरत थी और जून 1993 में यह संख्या बढ़कर 31.3 प्रतिशत हो गई। आज शान्ति स्थापना के कार्य में रत सिविलियन लोगों का 25 प्रतिशत भाग महिलाओं का है जबकि 1970 में यह केवल 5 प्रतिशत था।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1975 में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की घोषणा तथा संयुक्त राष्ट्र महिला-दशक कार्यक्रम ने महिलाओं को जीवन के कई क्षेत्रों में उत्तरदायित्व लेने की प्रेरणा दी। प्रदूषण, बन कटाव एवं मरूस्थल की समस्या के निदान में भी महिला जो अपने परिवार को लकड़ी, पानी और भोजन प्रदान करती है और ऐसा सभी विकासशील देशों में है अब वही महिला पर्यावरण सुधार में अग्रणी है। महिला आन्दोलन, जो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहायता एजेंसी से मिलकर चला है उसने एक नया उदाहरण विकास के लिए पेश किया, जो कि गत 10 वर्षों से उभर कर आया है। वह आर्थिक कम और मानवीय अधिक है। वास्तव में आर्थिक और सामाजिक विकास में महिलाओं का स्थान महत्वपूर्ण है। समाज में लिंग भेद की विषमता, पुरूष व स्त्री के सम्बन्धों का विश्लेषण आदि विषय पेइचिंग सम्मेलन में विचारणीय होंगे।

गतिशील कार्यक्रम का मंच

सन 1995 का सम्मेलन गतिशील कार्यक्रम के क्रियान्वयन का मंच होगा, जिसमें महिलाओं की प्रगति में आने वाली बाधाओं का विश्लेषण होगा और सुधार के लिए उपचार का विचार विमर्श होगा। इस प्रकार का दस्तावेज और कार्यप्रणाली राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर भावी शताब्दी में समाज को एक नई दिशा प्रदान करेगा।

सम्मेलन में अधिकतर भावी कार्यक्रम के निर्धारण पर ही चर्चा होगी किन्तु गतवर्षों में जो त्रुटियाँ सामने आई है, उन पर भी प्रतिनिधिगण चर्चा करेंगे। सन 1985 से इस सम्बन्ध में प्राप्तियों एवं कमियों पर बातचीत होती रही है, जबकि नैरोबी के सम्मेलन में 2000 ईसवी के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। ये लक्ष्य सरकारों से अपील करते हैं कि बेरोजगारी, शिक्षा, औद्योगिक निवेश, गृहनिर्माण, आवागमन और पर्यावरण सम्बन्धी क्षेत्रों में महिलाओं को उचित स्थान दें।

यह मंच एक रणनीति तैयार करेगा, जिसके आधार पर क्रियात्मक रूप योजनाओं को मिल सके। नीति निर्माता और सभी महिलाएं व पुरूष प्रारम्भिक स्तर से बुनियादी समस्याओं के निर्वाणर्थ काम करेंगे।

महिलाओं का अपने देश की नीति व अन्तर्राष्ट्रीय विधि निर्माण क्षेत्र में प्रभाव

प्रस्तावित कार्यवाही निश्चित रूप से गुणात्मक एवं सकारात्मक प्रभावकारी सिद्ध होगी। एक औसत महिला या तो स्वयं इन योजनाओं पर काम करे या अपने नेता को इन आधारों पर काम करने के लिए कह सकती हैं कि वे महिलाओं से सम्बन्धित अति सोचनीय क्षेत्रों को कार्य हेतु अपना सकते हैं। जैसे प्रशासकीय पदों, मानव अधिकारों, गरीबी, हिंसा, शिक्षा, लड़ाई, आर्थिक सहयोग, पर्यावरण, विकास आदि क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति देखी जा सकती है और यथोचित कार्यवाही की जा सकती है। इस परियोजना का लक्ष्य, जो 2000 ईसवी में कार्यान्वित होना है, निश्चित रूप से महत्वकांक्षी है। कानूनी दृष्टि से महिलाओं के समान अधिकार, दासता का अन्त, वेश्यावृत्ति की समाप्ति, विवाह के लिए एक निश्चित आयु का निर्धारण, सामाजिक दृष्टि से सभी कार्यरत महिलाओं को प्रसव छुट्टी, उनके स्वास्थ्य का ध्यान, परिवार नियोजन, शिक्षा, पौष्टिक आहार आदि पर बजट में यथोचित राशि का प्रावधान करना। परिवार में समान अधिकार, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोत्तरी, प्रबन्धक क्षेत्र में उचित स्थान तथा महिलाओं के विरूद्ध हिंसा व परिच्छेदन आदि की वृत्ति पर आवश्यक कार्यवाही करना है।

शेष पृष्ठ 43 पर

स्वास्थ्य देखभाल व परिवार कल्याण नियोजन सहायताएं।

सामाजिक सुरक्षा के सीधे फायदे के अधिकार।

प्रशिक्षण व शिक्षा का अधिकार।

कोआपरेटिवस तथा स्वयं के लिए सहायता प्रदान करने वाले समूहों को संगठित करने का अधिकार।

समाज की सभी गतिविधियों तथा क्रियाकलापों में भागीदारिता।

उधार, कर्ज, विपणन और उचित् तकनीक, जायदाद तथा भूमि संबंधी समझौते को समान अधिकार।

रहने के लिए जरूरी व पर्याप्त आवास की सुविधाओं जैसे - घर, स्वच्छता, पानी, बिजली, वाहन तथा संचार सुविधाओं के अधिकार।

अनुच्छेद - 15 कानूनी समानता

पुरूषों के समान कानूनी हैसियत की गारंटी जैसे अनुबंध, जमीन जायदाद का संचालन तथा कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए प्रस्तुत होना।

गतिविधियों के लिए स्वतंत्रता तथा निवास चुनने का अधिकार।

कानूनन पहुंच के लिए किसी भी प्रकार का अनुबंध तथा सार्वजनिक रोक लगाने पर पूर्ण पाबंदी।

अनुच्छेद - 16 विवाह और परिवार कानून

पुरूष के साथ विवाह तथा पारिवारिक जिम्मेदारी में दायित्वों के लिए बराबरी का अधिकार।

विवाह हेतु मनपसंद पति/पत्नी चुनने का अधिकार।

वैवाहित जीवन को यापन करने और उसे भंग करने की समानता।

बच्चों की संख्या और उनके बीच उम्र की दूरी रखने तथा उसे संबंधित सूचना, शिक्षा एवं संसाधनों की पहुंच।

बच्चों को गोद लेने व अभिभावक का समान अधिकार।

पति के समान ही व्यक्तिगत अधिकारी चुनना। जैसे पारिवारिक नाम, पेशा व व्यवसाय का अधिकार।

जमीन जायदाद के दायित्व, प्रबंधन, स्वामित्व और उसे बेचने के लिए समान अधिकार।

शादी के लिए एक उचित उम्र निर्धारित करना और शादी का रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण)

अनुच्छेद - 17-22 सीडॉ कमेटी, यानी महिला अत्याचार उन्मूलन कमेटी, के विस्तृत कार्यों और व्यवस्थापन की जानकारी।

अनुच्छेद - 23-30 सम्मेलन में प्रशासन की विस्तृत जानकारी

1985 नैरोबी महिला वार्ता के दौरान होने वाली लगातार गोष्ठियों से "द इंटिनेशनल वीमेन्स राइट्स एक्शन वाच"(IWRAW) का जन्म हुआ। 'इवरॉ' (IWRAW) का मुख्य उद्देश्य अंतराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय छात्रों का ऐसा नेटवर्क तैयार करना जो समझौते के गतिविधियों के पालन का काम करे।

'इवरॉ' (IWRAW) एशिया प्रशांत के उन देशों के लिए जिन्होनें वार्ता पर हस्ताक्षर किये हैं, कार्य योजना बनाने व उसे लागू करने में मदद करती है।

सीडॉ अभिपुष्टी पर भारत की शर्तें

1. भारत ने महिलाओं पर किये जाने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव को दूर करने हेतु समझौते की घोषणा और शर्त पर 30 जुलाई 1980 को हस्ताक्षर किये। जब इस समझौते हेतु अभिपुष्टी 9 जुलाई 1993 को हुई, तब ही उसने अपनी घोषणाएं व आरक्षण पर हस्ताक्षर के लिए पुष्टि की।
2. घोषणा और शर्तों की विषय वस्तु इस प्रकार हैं :-

घोषणाएं

i) महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करने हेतु समझौते के अनुच्छेद 5 (ए) और 16 (1) के आधार पर भारतीय गणतंत्र यह घोषणा करता है कि किसी भी समुदाय के सहमति व पहल के बिना उनके निजी मामलों में दखल न देने की नीति में अनुकूल अनुबंधों को सुनिश्चित करेगा व इसका पालन करेगा।

ii) अनुच्छेद 16 (2) महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करने हेतु समझौते के बारे में, भारतीय गणतंत्र की सरकार यह घोषणा करती है कि "वैसे तो सिद्धांतानुसार वह शादी के पंजीकरण को जरूरी मानती हैं, परंतु यह भारत जैसे देश में जहां कि कई प्रकार के रीति-रिवाजों, धर्मों तथा शिक्षा का स्तर है, वहां यह व्यवहार्य नहीं है।"

आरक्षण

"समझौते के अनुच्छेद 29 के बारे में, भारत सरकार यह घोषणा करती है कि वह इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 से अपने आपको बाध्य नहीं मानती हैं।"

कानूनी समझौते के तहत कोई भी राष्ट्र जो कि अन्तर्राष्ट्रीय समझौते से सहमत है वह बिना किसी कारण बतायी हुई शर्तों की पात्रता का अधिकारी है। यह किसी भी राष्ट्र के मूलभूत अधिकारों का हिस्सा है। समझौते के 28वें अनुच्छेद के मुताबिक आरक्षण समझौते के उद्देश्य और इरादे में असंगति हो तो ऐसे अधिकारों को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। आम सभा, आर्थिक

अनुच्छेद - 4 समानता प्राप्त करने के लिए अस्थायी विशेष तरीके

अस्थायी विशेष तरीकों को अपनाए, परंतु जैसे ही समानता प्राप्त हो जाये, उन्हें छोड़ दें।

मातृत्व की रक्षा के लिए विशेष तरीकों को भेदभाव से दूर रखा गया है।

किसी भी लिंग के प्रति (चाहे स्त्री या पुरूष) ऊंच-नीच की भावना को दूर करना।

पारिवारिक शिक्षा तथा बच्चों की देखभाल की पुरूष और स्त्री दोनों की समान बराबरी।

अनुच्छेद - 5 स्त्री/पुरूष के कर्त्तव्य निबाहने की एकरूपता

सांस्कृतिक व सामाजिक धारणाओं में स्त्रियों द्वारा ही घर संभालना व पुरूषों द्वारा बाहर के कामों में भागीदारिता के चलते आये ढांचे को तथा स्त्री-पुरूष के कर्त्तव्यों में भेदभाव को दूर करना।

पारिवारिक शिक्षा का प्रारूप ऐसा देना होगा जो यह बताए कि पारिवारिक बढ़ोत्तरी व निर्वाह में पुरूष और स्त्री की जिम्मेदारी बराबरी की है।

अनुच्छेद - 6 वेश्यावृत्ति

महिलाओं के अवैध देह व्यापार और वेश्यावृत्ति जैसे शोषण और दमन के लिए उचित कदम उठाने होंगे।

अनुच्छेद - 7 राजनैतिक व सामाजिक जीवन

सभी निर्वाचित निकायों में भागीदारी के लिए उपयुक्तता व चुनावों में मतदान देने का अधिकार।

सरकार की नीति निर्धारण प्रक्रियाओं में हिस्सा तथा सरकारी सभी स्तरों पर कार्यालयों में भागीदारी।

गैर सरकारी संगठनों में भागीदारी।

अनुच्छेद - 8 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी

अपने देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने के लिए अवसर प्रदान करना और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भाग लेना।

अनुच्छेद - 9 नागरिकता

नागरिकता को प्राप्त करने, रखने व बदलने का समान अधिकार।

संतानों को नागरिकता से संबंधित समान अधिकार।

अनुच्छेद - 10 शिक्षा के समान अधिकार

शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए समान अवसर

पढ़ाई के लिए प्रयोग किये जा रहे तरीकों तथा परीक्षाओं के लिए समान पाठ्यक्रम एवं सामग्री।

छात्रवृत्ति तथा अनुदान प्राप्त करने के लिए समान अवसर।

पढ़ाई जारी रखने यहां तक कि साक्षरता कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने के लिए समान अवसर।

शिक्षा व पाठ्य पुस्तकों के चले आ रहे पारंपरिक ढांचे को खत्म करना।

महिलाओं की शिक्षा पूरी न करने की प्रवृत्ति की दर को कम करने के उपाय।

खेलों तथा शारीरिक अभ्यास के लिए समान अवसर।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जानकारी हेतु बराबर अवसर।

अनुच्छेद - 11 रोजगार

पुरूषों के समान रोजगार के अवसर।

व्यवसाय, रोजगार तथा प्रशिक्षण को चुनने की स्वतंत्रता

समान वेतन व लाभ यहां तक कि किये गये काम के लिए बराबरी की सराहना।

सामाजिक सुरक्षा।

व्यवसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा संरक्षण।

वैवाहित या गर्भावस्था की स्थिति के आधार पर नौकरी से हटाये जाने पर रोक लगाना।

प्रसूतकाल हेतु छुट्टी।

सामाजिक कार्यों जैसे बच्चों की देखभाल को करने के लिए बढ़ावा देना।

प्रसूतकाल या गर्भावस्था के दौरान जोखिम वाले कामों के प्रति सुरक्षा के विशेष प्रावधान।

अनुच्छेद - 12 स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन

स्वास्थ्य देखभाल और गर्भावस्था के दौरान उचित उपचार सुविधाएं।

अनुच्छेद - 13 आर्थिक व सामाजिक सुविधाएं

पारिवारिक सुविधाओं के लिए कर्ज व उधार लेने के लिए समान अवसर।

खेलकूद, मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्यकलापों में समान भागीदारी का अधिकार।

अनुच्छेद - 14 ग्रामीण महिलाएं

ग्रामीण महिलाओं की खास समस्याओं की समझ, उनके द्वारा परिवार की आर्थिक बढ़ोतरी की विशेष जिम्मेदारी तथा उसके द्वारा बिना मजदूरी के किये जाने वाले काम का आंकलन।

उनके द्वारा विकास में समान भागीदारी।

विकास कार्यक्रमों तथा उनको लागू करने का अधिकार।

इसे अलग करता है और जोर देता है कि निजी ही वास्तव में सार्वजनिक तथा राजनैतिक है।

— अनुच्छेद 1 से 5 को समझौते में व्यापक रूप से लागू किया गया है, क्योंकि इन दोनों को कभी भी ऐसी स्थिति में जो कि महिला को दुष्प्रभावित करे, इस्तेमाल किया जा सकता है।

— यह समझौता उन अधिकारों को जो कि वास्तविक रूप से उन्हें मिले हैं, और कानूनी अधिकार, जो कि उन्हें मिलने चाहिए, उन पर अलग-अलग प्रकाश डालता है। इस संबंध में यह न केवल आजकल व्याप्त भेदभाव बल्कि पहले से चले आ रहे भेदभाव को स्पष्ट करता है, व उन्हें उन भेदभावों के प्रभावों को जिससे महिलाएं व पुरूष अपने आपको असहाय महसूस करते आये है उन्हें दूर करने के सही तरीकों का परिचय कराता है। उदाहरण के तौर पर, बराबरी के सिद्धांत व बराबर अधिकारों के अनुसार यदि महिलाओं को पुरूषों की तरह ही विकास हेतु मौका दिया जाये तो यह देखा गया है कि पुरूषों को महिलाओं से ज्यादा फायदा मिलता है क्योंकि पुरूषों को ज्यादा अनुभव व आत्मविश्वास या इसका कारण पुरूष प्रधान समाज है। इसे यह भी कह सकते है कि यह सब पहले से चले आ रहे भेदभावों का प्रभाव है जो कि पुरूषों की भागीदारिता को ज्यादा अहम देता है। अनुच्छेद 4 में ऐसे तरीकों का प्रावधान है जिनके अनुसार सकारात्मक कार्यवाही व महिला केन्द्रीत विकास नीति के तरीकों को विधि संगत बनाया जा सके, जिससे महिलाओं को वास्तविक बराबरी मिल सके। समझौता कानून से भी ऊपर है व सरकारों को अतिरिक्त कानूनी तरीकों को लागू करने के लिए बाध्य करता है। अनुच्छेद 4 के तहत प्रावधानों को सरकारों की नीति के लागू करने व कार्यक्रमों में हस्तक्षेप के लिए बाध्य किया जा सकता है यहां तक कि महिलाओं को कानून में दिये गये अधिकारों की पहुंच के लिए विपरीत भेदभाव तक करना पड़ सकता है।

— समझौता महिलाओं के नागरिक राजनैतिक सामाजिक व आर्थिक अधिकारों को एक साथ व्यक्त करता है और इन अधिकारों की विशेषता के लिए मजबूत आधार बनाता है। यह महिलाओं के कानूनी व विकास नीति के तरीकों को लागू करने की गारंटी देता है।

— दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से मिली कार्यप्रणालियों के तरीकों व इरादों से अलग यह समझौता सरकारी दायित्व के सिद्धांत पर जोर देता है महिलाओं व सरकार के बीच में संबंध व कार्य बदलाव अब सरकार की महिलाओं के प्रति रहनुमाई व अहसान नहीं बल्कि महिलाओं के प्रति दायित्व है जिसे कि वह नकार नहीं सकती। यह कह सकते हैं कि इस समझौते को लागू करने के लिए सभी सरकारी तंत्र बाध्य है। इस कार्य पद्धति को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्यवेक्षण के तरीके भी बनाये गये है। सभी सरकारी तंत्रों को एक निश्चित समयानुसार अपनी रपट महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करने हेतु बनी कमेटी सीडॉ को देनी पड़ती है (सीडॉ)।

समझौते की शक्ति का सारांश

— यह एक अंतर्राष्ट्रीय अध्यादेश है जो कि सभी देशों में समानता व अभेदभाव की मांगों के आधार पर वैध करार देता है।

— यह महिलाओं की तरक्की व समानता की विचारधारा को समझने : जैसे कि समान बराबरी के अवसर व बराबरी के परिणामों को एक सुदृढ़ ढांचा प्रदान करता है।

— यह समझौते के सिद्धांतों को राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप पालन करने को बाध्य करता है।

समझौते को लागू करने में रूकावटें

जबकि सभी प्रयास समझौते को मजबूती व अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए होने चाहिए। इसको इस सुंदर तरीके से बनाना चाहिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय संधि संबंधों का बोध हो सके। अन्य दूसरी संधियों की तरह यह भी एक राज्य सरकारों के बीच समझौता है। यह एक ऐसा समझौता है, जिसके अनुसार सरकारें अपने आप ही महिलाओं के प्रति हर प्रकार के भेदभाव को दूर करने के प्रयास खुद करेंगी। भले ही कार्यप्रणाली के पर्यवेक्षण के तरीके भी है परंतु इसके लिए कोई बाधित नहीं है और इसे लागू करने के प्रभाव ज्यादातर संबंधित सरकार की राजनीतियों पर निर्भर करता है। यह तब तक होना संभावित नहीं है, जब तक कि देश में सक्रिय व सचेत नागरिक न हों, जो कि राजनैतिक संकल्प को प्रभावित करते हैं। इस विषय में ऐसी महिलाओं के वर्ग का होना बहुत जरूरी है, जो समझौते को लागू करने की अहमियत पर जोर दें।

मुख्य परेशानियां

— सूचना देना सरकार की जिम्मेदारी है और महिलाएं इसमें शामिल ही नहीं है। कई बार और अधिकतर यह सूचना मिलती नहीं है ! कुछ सरकारें तो सूचना तक देती ही नहीं

एवं सामाजिक परिषद, महिलाओं के लिए गठित कमीशन तथा महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करने हेतु गठित कमेटी "सीडॉ" ने कई बार सरकारों को आगाह किया है कि वे आरक्षणों के विषय में दखलअंदाजी न करें, और यदि करती भी है तो उन्हें इस विषय पर पुनः विचार करना चाहिए और उन्हें जल्दी हटाने का प्रयास करना चाहिए।

"घोषणा" तो मात्र एक कथन है। जबकि वियना समझौते 1969 की कानूनी शर्तों के मुताबिक वैसे तो "आरक्षण" एक सरकार द्वारा अभिव्यक्तित्व या उल्लेखित एक पक्षीय कथन है जिसको कि हस्ताक्षर, घोषणा या स्वीकार करते समय कहा जाता है। यह समझौते के कानूनी अनुबंधों के पहलुओं के प्रभावों को राज्य के परिपेक्ष्य में संशोधित करने या बहिष्कृत करने के बारे में खुलासा करता है। यह भी कहा जा सकता है कि भले ही यह एक "घोषणा" हो परंतु इसके सार का मतलब "आरक्षण" से ही है। आरक्षण के तहत कुछ क्षेत्र समझौते द्वारा राष्ट्र में प्रयोग करने हेतु छोड़ दिये गये हैं। फिर भी राष्ट्र, समझौते में किये अन्य सभी अनुबंधों को मानने के लिए बाध्य है।

सीडॉ समझौते पर आधारित तथ्य-पत्र

महिलाओं के प्रति किसी प्रकार के भेदभाव को दूर करने हेतु समझौते की सहमति संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में दिसंबर 1979 के दौरान ही हो गई थी। 1980 में इस समझौते को हस्ताक्षर करने के लिए खोल दिया गया। जैसे ही 20 देशों के द्वारा इसके प्रति समर्थन प्राप्त हुआ वैसे ही सितंबर 1981 से इसने जोर-शोर से काम करना शुरू कर दिया। आजकल करीब 132 देशों ने इसके प्रति समर्थन व्यक्त किया है और इस समझौते में राष्ट्र पार्टियां बन गई हैं।

महिलाओं के लिए ही समझौता क्यों ?

- महिलाओं के मानवीय अधिकारों को स्वतः पहचान नहीं है जबकि पुरूष के अधिकारों की घोषणा होती है।
- यहां सार्वनजिक तथा राजनैतिक एवं सामाजिक आर्थिक अधिकारों हेतु काफी तनाव है। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा सार्वजनिक तथा राजनैतिक अधिकारों का ज्यादा ध्यान आकर्षित किया गया है, जबकि महिलाओं पर सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में अत्याचार हद से भी ज्यादा हैं।
- अन्य समझौतों में व्यक्ति विशेष पर किये गये अत्याचार के प्रति ही विचार विमर्श किया जाता है। किंतु इस समझौते का दृष्टिकोण व्यवस्था, विचार तथा संस्थाओं पर मूलभूत रूप से केन्द्रित है जो कि महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करता है।
- अन्य समझौतों में राज्य अभिनेताओं पर ध्यान केन्द्रित किया है जो कि अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यदि कोई भी महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उन्हें इस समझौते के तहत राज्य सरकारों द्वारा दंडित किया जायेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी महिला के साथ बस में दुर्व्यवहार किया जाता है तो उसकी जवाबदेही के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी।

समझौते के मुख्य आकर्षण

- यह महिलाओं के अधिकारों को बोध कराने वाला बिल है। इसमें कई मुद्दों का समन्वय है, जो कि तदर्थ रूप से अब तक व्यक्त किये गये थे। विकास की धारा में, इन अधिकारों ने ऐसा बदलाव किया कि जो महिलाएं अब तक केवल लाभार्थी थी वे दावेदार भी बन गई है।
- यह समझौता पुरूष और स्त्री के समान अधिकार के सिद्धांत पर आधारित है इसलिए वह मानवीय अधिकारों को महिलाओं तक प्रसारित करता है।
- समझौता इन अधिकारों हेतु कानूनी कार्यवाही की आज्ञा देता है इसके माध्यम से आप इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा जिम्मेदारी ले सकते हैं।
- ये देखा गया है कि महिलाओं के प्रति असमानता सामाजिक ढांचे में निर्मित है और इसीलिए महिलाओं के प्रति भेदभाव का सत्य पहचान में आया। समझौता महिलाओं के प्रति भेदभाव की परिभाषा से शुरू होता है।

अनुच्छेद एक के अनुसार,

— महिलाओं के खिलाफ 'भेदभाव का अर्थ' है - महिलाओं को पुरूषों के साथ सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक व नागरिक सभी क्षेत्रों में उनके वैवाहिक स्तर को ध्यान में न रखते हुए पुरूषों के बाद बराबरी का स्थान, मानसम्मान व पहचान मिलेगी। किसी भी क्षेत्र में लिंग के आधार पर न तो उनके प्रवेश को रोका जा सकता है न निकाला जा सकता है और न ही किसी प्रकार का भेदभाव किया जा सकता है।

— समझौते में सांस्कृतिक व सामाजिक धारणाओं में स्त्रियों द्वारा ही घर संभालना व पुरूषों द्वारा बाहर के कामों में भागीदारिता के चलते आये ढांचे अथवा किसी भी लिंग के प्रति ऊंच नीच के विचारों के नकारात्मक पहलुओं के प्रभावों को स्वीकारा गया (अनुच्छेद 5), इसीलिए समझौता निजी तथा सार्वजनिक के बीच विभाजन पर

महिलाओं के संवैधानिक अधिकार

भारत के संविधान में महिलाओं के बराबरी के अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख है। संविधान में इसका भी उल्लेख है कि कामगार, मां आदि भूमिकाओं में महिलाओं की सुरक्षा का दायित्व राज्य का है। महिलाओं के कानूनी अधिकारों के संदर्भ में मौलिक अधिकार की सूची के निम्न अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं :-

- **अनुच्छेद 14** : कानून के समक्ष सबकी समानता और सामान कानूनी सुरक्षा।
- **अनुच्छेद 15** : धर्म, जाति, जन्मस्थान आदि के साथ-साथ लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव अर्जित है।
- **अनुच्छेद 15 (3)** के तहत राज्य को अधिकार है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है।
- **अनुच्छेद 16** : इसके तहत महिलाओं को सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में पुरूषों के साथ अवसर की समानता का अधिकार प्राप्त है।

अवसर की समानता का संवैधानिक प्रावधान नियुक्ति, पदोन्नति, नौकरी से बर्खास्तगी एवं वेतनमान, वेतन-वृद्धि, पेंशन, सेवानिवृत्ति की आयु-सभी मामलों में लागू होता है।

उपरोक्त अधिकारों के उल्लंघन के विरूद्ध उच्च-न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है।

संविधान का चौथा खंड राज्य की नीति-निर्देशक सिद्धांतों के बारे में है। यद्यपि इस खंड के प्रावधानों को लागू करवाने के लिए अदालतें राज्य को बाध्य नहीं कर सकतीं लेकिन संविधान के अनुच्छेद 37 के तहत इन प्रावधानों को भारत के प्रशासनिक मामलों में मौलिकता का दर्जा प्राप्त हैं।

ये राज्य के ऐसे उत्तरदायित्व हैं जिनके जरिए वह लोक-हित में समतावादी समाज के निर्माण के लिए सरकार को निर्देश देता है।

- **अनुच्छेद 39** (घ) सरकार को समान काम के लिए समान वेतन की नीति लागू करने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 41** में आर्थिक-दक्षता और विकास के सीमाओं के अंतर्गत काम, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक-सहायता के अधिकारों का प्रावधान है।
- **अनुच्छेद 42** में काम की न्याय-संगत और मानवीय शर्तों एवं प्रसूति प्रसुविधाओं का प्रावधान है।
- **अनुच्छेद 43** के तहत राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह न्यूनतम वेतन, समुचित जीवन स्तर और काम की उचित शर्तें सुनिश्चित करे।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन (आई.एल.ओ.) के 159 सदस्य देशों में से 112 ने समान पारिश्रमिक समझौते (क्रमांक 100) का अनुमोदन किया है। इस समझौते के तहत समान काम के लिए स्त्रियों को पुरूषों के बराबर पारिश्रमिक का अधिकार है। भारत ने 1951 के इस समझौते का अनुमोदन 25 सितंबर 1958 को किया और इसके लगभग दो दशक बाद 1976 में, भारतीय संसद ने इस संदर्भ में कानून पारित किया - समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976।

समान पारिश्रमिक अधिनियम (ई.आर.ए.) का उद्देश्य समान पारिश्रमिक यानी समान काम के लिए समान वेतन का भुगतान सुनिश्चित करना है। यहाँ पर नियुक्ति, वेतन एवं सेवा-शर्तों के क्षेत्रों में महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी करार देता है।

■ नियोक्ता ('मालिक') के कर्त्तव्य

इस अधिनियम के तहत समान काम के लिए बराबर वेतन का भुगतान नियोक्ता की कानूनी जिम्मेदारी है।

'समान काम' का मतलब है वही काम या उसी तरह का काम। 'समान पारिश्रमिक' में वेतन के साथ मिलने वाली यात्रा, स्वास्थ्य, किराया-भत्ता आदि सुविधाएं भी शामिल हैं।

इस अधिनियम के पारित होने से पहले कई संस्थानों में महिलाओं और पुरूषों के लिए अलग-अलग वेतन एवं सेवा-शर्तें हुआ करती थी। निर्माण-कार्य, दियासिलाई उद्योग, दफ्तर के काम, बागवानी जैसे कई क्षेत्रों में अभी भी वैसी ही हालत है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियोक्ता समान पारिश्रमिक कानून का

है। सूचनाएं प्राप्त तो की जा सकती है लेकिन यह तभी प्राप्त होंगी जबकि यह 'डिवीजन आन द एडवांसमेंट आफ विमेन' यू.एन. में जमा हों वैसे गैर सरकारी तौर पर महिला समूहों की वैकल्पिक रपटों को सीडॉ से प्राप्त कर सकते हैं। सरकारों पर यह दबाव होना चाहिए कि वे महिलाओं के परिपेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रपटों को तैयार करें।

— व्यक्तिगत शिकायत का कोई तरीका नहीं है।

— आरक्षण की समस्या अपने आप में परेशानी है। अनुच्छेद 16 (जो कि महिलाओं के परिवार में अधिकार, व अनुच्छेद 5 जो कि चले आ रहे रीति रिवाज के बारे में है) सबसे अधिक आरक्षित है। आरक्षण का यह प्रावधान आवश्यक माना गया है जिससे कि महिलाओं व पुरूषों में पूरी समानता को धीरे-धीरे स्वीकारा जाये लेकिन कुछ सरकारों के द्वारा समझौते की इस विचारधारा को नकारा गया है। समझौते में आधारभूत सिद्धांतों के विपरीत आरक्षणों को रोकने का व आरक्षण के प्रचलन में नियंत्रण का कोई भी तरीका संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं है। इसमें सुधार लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जोरदार प्रयासों की जरूरत है।

— अनुच्छेदों की व्याख्या को प्रायः राज्यों पर छोड़ दिया जाता है और इसके परिणामस्वरूप अधिकारों की व्याख्या व समस्याओं को समझना व उनका निदान संकुचित हो सकता है। प्रायः अनुच्छेदों का उपयोग ढीला पड़ जाता है। अनुच्छेदों के सार को बहुत स्पष्ट होना चाहिए और जो भी निर्णय हों वह समझौते की कार्यप्रणाली के ढांचे को ध्यान में रखते हुए हों, इसके लिए महिलाओं को अहम भूमिका निभानी है।

— सफलता के कोई स्पष्ट सूचक नहीं हैं जो कि समझौते को लागू करने से प्राप्त हों। इसलिए राज्य सरकारों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन कैसे हो सकता है।

— कमेटी 'सीडॉ' पर्यवेक्षण के लिए एक समीक्षक की तरह कार्य प्रणाली है। इसकी रचना इसकी प्रभाव क्षमता पर आधारित है, दूसरी समस्या यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से इसे बहुत कम संसाधन उपलब्ध होते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पेश होने वाले राजकीय रपटों में इस समझौते का क्या प्रारूप है यह देखना इस कमेटी की मुख्य भूमिका रहेगी। संयुक्त राष्ट्र संध अपनी ईमानदारी इस तरीके से दिखा सकता है जैसे की सीडॉ द्वारा महिलाओं को संसाधन व देखभाल की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

सार

राज्य सरकारों द्वारा समझौते के संकेतों की पूर्ण रूप से अभिपुष्टी करनी चाहिए, इस बारे में राज्य सरकारों का कहना है :

- वे भेदभाव व असमानता को पहचानती है।
- राज्य सरकारों द्वारा इसके लिए कार्य करने की जरूरत।
- वे स्वयं इसके लिए कुछ करना चाहते है और कुछ नहीं भी।
- वे राज्य स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जवाबदेही के लिए सहमत है।
- हम महिलाओं को राज्य सरकारों के लिए मापदण्ड और दायित्व बढ़ाने होंगे।
- हमें समझौते से यह सीखना है कि यह एक समानता और कार्यवाही को समझने और इसके उपयोग का मूल्यांकन करने हेतु एक अदालती हथियार हैं। हमें अपने अधिकारों की मांग की समझ इस प्रकार करनी हैं :
- समझौते को महिलाओं द्वारा हर स्तर पर, स्थानीय राष्ट्रीय क्षेत्रों के लिए संगठित कर उन्हें बढ़ावा देना, विकास और अधिकारों को प्राप्त करने की महत्ता के लिए उन्हें जागरूक और शिक्षित करना है।
- मानवीय अधिकारों को समझने, इस्तेमाल करने व उनकी कार्य पद्धति को समझने के लिए निपुणता हासिल करना।
- समझौते को लागू करने की देखभाल।
- अधिकारों की परिभाषा, आवश्यकताओं को समझाना, परेशानियों को चुनना और राज्य सरकारों को इसके लिए क्या कार्य किया जाना चाहिए। सफलता के मापदण्ड स्थापित करना और राज्य सरकारों के दस्तावेजों के प्रभाव का लेखा जोखा रखना।
- अधिकारों की मांग और राष्ट्रीय स्तर पर ठोस प्रयासों की जरूरत जो कि विकास के लिए महिलाओं के अधिकारों को स्थापित करेगी।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की जरूरत जो कि सरकारों पर दबाव डालेगी।

— मैट्रोपोलिन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का जुडीशियल मजिस्ट्रेट

इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 4 संगठन/संस्थाएं निम्न हैं :

1. सेंटर फॉर वीमेंस डेवलपमेंट स्टडीज़, नई दिल्ली
2. सेल्फ इम्प्लॉयड वीमेंस एसोशियेसन, अहमदाबाद
3. वर्किंग वीमेंस फोरम (इंडिया), मद्रास
4. इंस्टीटयूट फार सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट, नई दिल्ली

(प्रसूति प्रसुविधा) अधिनियम, 1961

1961 में भारतीय संसद द्वारा पारित यह अधिनियम महिला कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार, इस अधिनियम का उद्देश्य कामगार महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाना और उन्हें इस योग्य बनाना है कि अपनी जीविका चलाने के साथ-साथ वे प्रसूति के दौरान ऊर्जा-क्षति की पूर्ति करके बच्चे का लालन-पालन कर सकें और काम की उनकी दक्षता पहले की ही तरह बरकरार रहे। प्रसूति प्रसुविधा के विभिन्न कानूनों की असमानताओं को कम करके, यह एकसमान शर्तों, सुविधाओं और अवधि का कानून प्रदान करता है।

यह अधिनियम निम्नलिखित किस्म के संगठनों, प्रतिष्ठानों पर लागू होता हैं :

— कारखाना, खदान, बगान

— सरकारी प्रतिष्ठान

— सर्कस एवं अन्य अभिनय-समूह

— 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकान एवं प्रतिष्ठान

केवल पत्नियां ही नहीं बल्कि सभी माताएं इस अधिनियम के तहत मिलने वाली सुविधाओं की हकदार है। किसी नियोक्ता द्वारा अविवाहित महिलाओं को प्रसूति प्रसुविधाएं देने से इंकार करना, गैरकानूनी है।

■ **अवकाश का समय**

बच्चे को जन्म देने या गर्भ-श्राव के छः सप्ताह बाद तक महिलाओं को काम करने की मनाही होती है। इसके एक महीने पहले से भी वे काम की सुविधाजनक परिस्थितियों/शर्तों के लिए अनुरोध कर सकती है। कोई भी नियोक्ता किसी महिला के प्रसव के छः सप्ताह पहले से और छः सप्ताह बाद तक काम के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इस अवधि में काम करने का निर्णय उस कर्मचारी की इच्छा पर निर्भर करता है। नियोक्ता उसे ऐसे कामों के लिए भी नहीं बाध्य कर सकता जिसमें लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता हो या अन्य कोई काम जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता हो। यदि कर्मचारी बच्चा जनने के बाद छः सप्ताह की छुट्टी नहीं लेना चाहती तो भी उसका नियोक्ता उसे कोई कठोर काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

■ **छुट्टी की अवधि**

इस अधिनियम के अन्तर्गत कुल 12 सप्ताह की छुट्टी का प्रावधान है। कोई भी कामगार महिला प्रसव के समय से या पहले से भी प्रसूति-अवकाश ले सकती है लेकिन प्रसव की संभावित तिथि से पहले 6 सप्ताह से अधिक के अवकाश का प्रावधान नहीं है।

■ **कब कोई महिला सुविधाओं की हकदार होती है ?**

कोई भी महिला कामगार काम पर आने के एक महीने बाद प्रसूति अवकाश का दावा नहीं कर सकती। जन्म देने के अपेक्षित समय के पहले एक वर्ष के दौरान कुल मिलाकर कम से कम 80 दिन काम करना अनिवार्य है। इस दौरान यदि उस कर्मचारी ने छुट्टी भी लिया हो तो उससे 12 सप्ताह के प्रसूति-अवकाश की सुविधा पर कोई फर्क नहीं पड़ता।

सभी सरकार अवकाशों की अवधि भी अनिवार्य 80 दिनों के काम के अंतर्गत जोड़ी जा सकती है। इसके अलावा यदि कोई महिला कामगार अस्थाई छंटनी का शिकार रही है तो अस्थाई छंटनी की अवधि की काम के अनिवार्य 80 दिनों में जोड़ी जाएगी।

■ **प्रसूति प्रसुविधा की दर**

12 सप्ताह के प्रसूति-अवकाश के दौरान कोई भी महिला कामगार विधि सम्मत न्यूनतम वेतन या 10 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से (दोनों से जो भी अधिक हो।) पारिश्रमिक की हकदार होती है। यह कानून काफी पुराना है क्योंकि कहीं भी अब न्यूनतम मजदूरी की दर 10 रूपए प्रतिदिन से कम नहीं है।

उपरोक्त प्रावधान उन्हीं महिला कामगारों के लिए है जो दिहाड़ी पर काम करती हैं, नियमित कर्मचारी अपने पूरे वेतन की हकदार है।

■ **मृत्यु हो जाने पर :**

यदि जन्म देने के दौरान किसी महिला की मृत्यु हो जाए और बच्चा जीवित रहता है तो नियोक्ता के जन्म के बाद से छः सप्ताह का वेतन-भत्ता एवं अंन्य प्रसूति प्रसुविधाएं देना पड़ता है।

पालन पुरूष-कामगारों का पारिश्रमिक घटा कर न कर सकें, अधिनियम में वेतन घाटा कर कानून पालन करने के मनाही का भी प्रावधान है।

■ **नियुक्ति में भेदभाव की मनाही**

इस अधिनियम के सरोकार का क्षेत्र उन्हीं महिलाओं तक सीमित नहीं है जो पहले से ही नौकरी में है, इसका उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि नियुक्ति के समय महिलाओं के विरूद्ध लिंग के आधार पर भेदभाव रोका जा सके। इसके तहत सेवा-शर्तों, पदोन्नति, प्रशिक्षण या तबादले जैसे मामलों में भी लिंग के आधार पर पक्षपात की मनाही है।

■ **काम के समय भिन्न हों तो ...... ?**

कई क्षेत्रों (मसलन कोयला एवं अन्य खनिजों की खदानों) में वही काम कई पारी में किया जाता है। औरतों को रात की पारी में काम की मनाही है इसलिए पुरूष ही रात की पारी में काम करते हैं। कई मजदूर रविवार या अन्य छुट्टियों में काम करके अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाते है।

इन मामलों में समुचित न्याय हो सके इसके लिए काम के समय भी भिन्नता के चलते पड़ने वाली अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए पारी-भुगतान या अतिरिक्त प्रीमियम का प्रावधान है। लेकिन पुरूषों और महिलाओं के मूल वेतनमान में कोई अंतर नहीं होगा।

■ **प्रमाण की जिम्मेदारी**

इस तरह की शिकायतों के मामलों में यह प्रमाणित करना कि वेतन में अन्तर लिंग पर आधारित नहीं है, नियोक्ता की जिम्मेदारी है।

■ **यह अधिनियम बाध्यकारी हैं :**

इसके तहत 20 या अधिक लोगों को नियुक्त करने वाले किसी संस्थान में नियोक्ता की अनिवार्य जिम्मेदारी है कि वह अपने सभी कर्मचारियों के बारे में रजिस्टर बनाए जिसमें सभी आवश्यक जानकारियां दी गई हों। इस विषय में अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार रखना भी नियोक्ता की जिम्मेदारी है। इससे पक्षपात की स्थिति में प्रमाण जुटाने में सुविधा होती है।

इस अधिनियम के प्रावधान पूरी तरह लागू हों, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है। इन निरीक्षकों को अधिकार है कि वे किसी संस्थान में छापा मार कर नियुक्ति संबंधित दस्तावेजों और दस्तावेज के आंकड़ो की सत्यता की जांच पड़ताल कर सकते है तथा दस्तावेजों की प्रतियाँ बना सकते हैं।

■ **दंड**

इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करना दंडनीय अपराध है। इसके लिए दस से बीस हजार रूपए तक का जुर्माना और/या तीन महीने से एक साल तक के कारावास की सजा हो सकती है। ऐसा दुबारा करने वालों के लिए दो साल तक के कारावास का प्रावधान है।

■ **दंड का भागी कौन ?**

ऐसे मामलों में जिसमें इस अधिनियम के तहत अपराधी कोई कंपनी है तो अपराध के समय उस कंपनी के शीर्षस्थ अधिकारी दंड का भागी होगा। यदि यह प्रमाणित हो जाए कि अपराध किसी निर्देशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य किसी अधिकारी की सहमति, मिलीभगत से या उपेक्षा के कारण, हुआ है तो उसे अपराध का भागीदार समझकर उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है।

फरियाद करना

■ **फरियादी कौन ?**

समान पारिश्रमिक अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कोई फरियाद दायर कर सकता है -

1. प्रभावित कर्मचारी,
2. मान्यता प्राप्त 4 कल्याणकारी संगठनों से कोई
3. प्रभावित कर्मचारी द्वारा अधिकृत वकील या पंजीकृत ट्रेड यूनियन,
4. इस अधिनियम के तहत लिंग के आधार पर भेदभाव की शिकायत निम्न के समक्ष की जा सकती है :

फरियाद किससे ?

— श्रम अधिकारी या सरकार द्वारा अधिकृत उससे ऊपर का अधिकारी

नोटिसों आदि की जांच-पड़ताल कर सकता है। वह उस प्रतिष्ठान के किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है। वह नियोक्ताओं से उस प्रतिष्ठान की महिला कर्मचारियों की संख्या, उनके वेतनमान और इस अधिनियम के तहत प्राप्त हुए आवेदनों की जानकारी मांग सकता है। वह इस संबंध में किसी दस्तावेज की प्रति बनवाने का भी अधिकारी है।

यदि किसी भी महिला की प्रसूति प्रसुविधा रोक ली गई हो, उसे गर्भाधान के दौरान सेवा-निवृत्त या बर्खास्त कर दिया गया हो तो वह निरीक्षक से शिकायत कर सकती है। निरीक्षक का यह कत्तव्य है कि वह समुचित जांच-पड़ताल के बाद विधि-सम्मत निर्देश जारी करे। इस संबंध में देय राशि निरीक्षक के प्रमाणित करने पर जमीन की लगान की ही तरह जिलाधीश वसूल करेगा।

■ नियोक्ता के कर्त्तव्य

इस अधिनियम के तहत इस संबंध में रजिस्टर, मास्टर रोल एवं अन्य दस्तावेजों में प्रविष्टियाँ पूरी करने की जिम्मेदारी नियोक्ता की है। यह भी उसी का दायित्व है कि महिला कर्मचारियों की समझ में आने वाली भाषा में, इस अधिनियम के प्रमुख अंशों को प्रतिष्ठान में ऐसी जगहो पर लगाएं जहाँ कर्मचारी आसानी दे देख/पढ़ सकें।

■ अधिनियम के उल्लंघन का दंड

यदि कोई नियोक्ता इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे 3 महीने से साल भर के कारावास और 2000 रू.-5000 रू. के जुर्माने की सजा हो सकती है।

यदि कोई नियोक्ता किसी निरीक्षक के काम में बाधा डालता है तो उसे एक साल के कारावास और/या 5000 रू. जुर्माने की सजा हो सकती है।

■ शिकायत किससे करें :

इस अधिनियम के तहत इसके प्रावधानों का पालन न करने वाले के विरूद्ध, एक साल के अंदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के निम्न में से किसी द्वारा मुकदमा दायर किया जा सकता है :-

क. प्रभावित महिला

ख. पंजीकृत ट्रेड यूनियन का अधिकृत प्रतिनिधि

ग. पंजीकृत स्वैच्छिक संस्था जिसकी वह महिला सदस्य हो।

घ. अधिनियम के तहत नियुक्त निरीक्षक

पृष्ठ 32 का शेष

मानवीय अधिकारों का ध्यान केन्द्रित

विश्व में स्त्री जाति के प्रति हिंसा, बलात्कार, प्रताड़ना, अपमानित करना, आक्रोश प्रकट करना आम बात है।

गत 10 वर्षों में अधिकतर देशों ने अपना सहयोग महिलाओं के प्रति भेदभाव समाप्त करने के लिए दिया है और वे कानूनी तौर पर अब उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में उचित स्थान देने को बाध्य हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक सम्बन्धी सभी क्षेत्रों में महिलाओं को सम्मान मिले। सर्वप्रथम 1979 में इस पर विचार हुआ था और अब 133 देशों ने इस पर अमल भी किया है, किन्तु कुछ देश धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण के आधार पर मर्यादित रूप से काम करते हैं। विशेषकर विवाह और पारिवारिक कानूनों के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव होता है।

आज महिलाओं के अधिकारों को भी अधिकाधिक मान्यता प्राप्त हो रही है। महिलाएं कार्यकत्रा, महिलाओं के विरूद्ध व्यक्तिगत प्रताड़ना एवं हिंसा के विरूद्ध कार्यरत है। नैरोबी के सम्मेलन में महिलाओं पर अत्याचार के प्रश्न को अन्तर्राष्ट्रीय समस्या माना गया। आज राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या के समाधार हेतु चर्चा की जाती है।

महिलाओं के गैर सरकारी संगठन, जिन्होंने 1993 में विश्व सम्मेलन, वियना में भाग लिया, स्पष्ट रूप से "महिलाओं के अधिकारों" को चर्चा का विषय बनाया था और वियना घोषणा एवं कार्यान्वियन की योजना के अन्तर्गत यह विषय भी रखा था। उन्होंने 'महिलाओं पर हिंसा' विषय को भी कार्यसूची में रखा था, जो संयुक्त राष्ट्र ने भी 1993 में अपनी कार्यसूची में सम्मलित किया था। यह एक क्रान्तिकारी कदम था, जो पहला सर्वमान्य कानूनी माध्यम महिलाओं के पक्ष में, अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के अर्न्तगत माना गया।

यही प्रभावी शक्ति फिर दुबारा पेईचिंग सम्मेलन में भी उभरेगी। कई महत्वपूर्ण विश्व सम्मेलनों के बाद आयोजित यह सम्मेलन गत दो दशकों के मानव अधिकारों पर हुए कार्य पर तथा जनसंख्या और सामाजिक विकास से सम्बन्धित कार्यों पर अन्तिम रूप से प्रकाश डालेगा। यह सम्मेलन अब तक आयोजित तीन विश्व सम्मेलनों के प्रभाव को आगे बढ़ायेगा ताकि नये कानून, अधिक पूंजी निवेश महिलाओं से सम्बन्धित विकास कार्यों में किया जा सके। इससे महिलाओं के लिए निश्चित एवं स्पष्ट योजनाएं बन पायेगी और उनके संघर्ष को भी बल मिलेगा।

लेकिन यदि जच्चा के साथ बच्चा की भी मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के बाद से सुविधाएं न देने के लिए नियोक्त स्वतंत्र है लेकिन जन्म के समय तक उसे वेतन एवं अन्य लाभ देना ही पड़ेगा। यदि जच्चा की कुछ दिनों बाद किंतु छः सप्ताह की भीतर मृत्यु हो जाती है और बच्चा जीवित रहता है तब भी नियोक्ता को पूरे अवकाश की अवधि का वेतन-भत्ता देना पड़ेगा। लेकिन इस दौरान यदि बच्चे की मृत्यु हो जाए तो वह बच्चे की की मृत्यु तक की अवधि के भुगतान की कानूनन उत्तरदायी है। यह भुगतान मृतक द्वारा नामांकित व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को प्राप्त होगा।

■ कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) अधिनियम के तहत आने वाली महिला-कामगार

ई.एस.आई. के अंतर्गत आने वाले उद्योगों में कार्यरत महिलाएं उपरोक्त अधिनियम के तहत प्रसूति प्रसुविधा के लाभों की हकदार है। ऐसी महिलाएं जिन्हें ई.एस.आई. अधिनियम के तहत प्रसूति प्रसुविधाएं प्राप्त नहीं है वे प्रसूति अधिनियम के अंतर्गत सुविधाओं का दावा कर सकती है।

■ चिकित्सा-भत्ता का भुगतान

प्रसूति-भत्ता की हकदार कोई भी महिला 250 रू. की चिकित्सा-संबंधी जिम्मेदारी उठाता है तो वह उक्त राशि की हकदार नहीं होगी।

■ गर्भ-श्राव होने की स्थिति में

यदि किसी महिला को गर्भ-श्राव हो जाता है और वह उसका प्रमाण पेश करे तो वह गर्भ-श्राव के बाद छः सप्ताह के वेतन-सहित अवकाश की हकदार है।

■ गर्भाधान, प्रसव, समय के पहले बच्चे को जन्म देने या गर्भश्राव के कारण बीमारी की छुट्टी :

यदि कोई महिला गर्भाधान, प्रसव, समय से पूर्व बच्चे को जन्म देने या गर्भश्राव के कारण बीमार पड़ती है तो वह इसके लिए प्रसूति प्रसुविधा की ही तरह अधिकतम एक माह की छुट्टी ले सकती है। यह सुविधा 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश के अतिरिक्त है। इसका प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के तहत नियत सुविधाओं पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इसके लिए बीमारी का प्रमाण पेश करना अनिवार्य है।

■ पोषणार्थ विराम

प्रसूति अवकाश के बाद काम पर वापस आने के बाद बच्चे के 15 महीने का होने तक कोई भी महिला बच्चे के लालन पालन के लिए विराम की हकदार है। यह विराम स्वास्थ्य-लाभ के लिए स्वीकृत अवकाश की अवधि से अलग है।

■ बर्खास्तगी की इजाजत नहीं

कोई भी नियोक्ता किसी महिला कर्मचारी को उपरोक्त प्रावधान के तहत गर्भाधान के दौरान काम पर न आने के लिए सेवा-निवृत्त या बर्खास्त नहीं कर सकता। किसी भी नियोक्ता द्वारा ऐसा करना गैरकानूनी होगा और उसके विरूद्ध अदालत में मुकदमा किया जा सकता है।

यदि प्रसूति प्रसुविधा की हकदार किसी भी महिला को गर्भाधान के दौरान बर्खास्त या सेवा-निवृत्त कर दिया है तो भी वह प्रसूति प्रसुविधा और चिकित्सा-भत्ता का दावा कर सकती है।

■ वेतन में कटौती की मनाही

लालन-पालन के अवकाश या अपेक्षाकृत आसान काम के लिए सामान्य वेतन में किसी भी तरह की कटौती की मनाही है और ऐसा करने वाले नियोक्ता के ऊपर मुकदमा किया जा सकता है।

■ प्रसुति प्रसुविधा के दुरुपयोग की मनाही

यदि प्रसुति-अवकाश के दौरान कोई महिला किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम करती है तो वह उस दौरान इस अधिनियम के तहत मिलने वाली प्रसूति सुविधाओं का दावा नहीं कर सकती।

■ प्रसुति प्रसुविधा का दावा

इस अधिनियम के तहत प्रसूति प्रसुविधा की हकदार महिलाओं को चाहिए कि वे गर्भवती होने के बाद निम्न ब्यौरे देते हुए अपने नियोक्ता को लिखित नोटिस दें।

- क. प्रसुति प्रसुविधा एवं चिकित्सा भत्ता की राशि जिसकी वह हकदार है।
- ख. उसकी अनुपस्थिति में कौन यह राशि प्राप्त करने के लिए अधिकृत है।
- ग. यह मातृत्व अवकाश के दौरान किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम नहीं करेगी।
- घ. तारीख, जब से वह छुट्टी लेना चाहती है।

यदि किसी कारण वश पहले से नोटिस न दी जा सकी हो तो प्रसव के बाद जितनी जल्दी हो सके नोटिस दे देना चाहिए।

■ अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त निरीक्षको के अधिकार और कर्त्तव्य

निरीक्षक किसी भी प्रतिष्ठान में जाकर रजिस्टरों, दस्तावेजों,

SLOGANS FOR "ENERGY CONSERVATION"

1. Conserve Electrical Energy.
   Remember your neighbours and friends.
   They are also eager to have Electricity.

2. Electricity Department can avoid Load
   shedding only when every consumer reduces energy
   consumption to the Minimum.
   What we have is better to share among our selves.

3. Conserve Electrical Energy.
   Use Energy - Efficient Equipments.
   Save your Hard - Earned Money.
   And pay Electricity Bills regularly.

4. Electricity Department purchase power for your needs.
   Clear Bills regularly.
   Avoid disconnection.
   Electricity Department is always at your service.

5. Conserve Electrical Energy.
   Preserve National Resources.
   Make best use of the available Energy.
   Help Electricity Department to serve you better.

6. Please don t touch Energy - Meters, Switches and
   Fuses Installed at your premises.
   Please don t allow others to touch them.
   It is punishable as per the Indian Electricity Act 1910.
   In case of any problem,
   Please don t hesitate to inform
   The nearest Electricity Complaint.

7. Switch off Electrical Lamps, Appliances and Gadgets.
   When you don t need them.
   Save Energy.
   Save your Hard - Earned Money.

8. Please use sunlight to the maximum,
   Avoid use of Electrical Energy during day-time.

9. Please don t forget to put off lights
   Before you go to sleep after the day s hard toil.

Electricity Department
Government of Manipur

With Revolutionary Greetings and Compliments

from

MADHYA PRADESH BANK EMPLOYEES' ASSOCIATION

P.N.SHARMA	***R.V.PANCHAITY***	***D.K.CHATTERJEE***
Chairman	***President***	***General Secretary***

CENTRAL OFFICE - PARVANA BHAVAN

AMINPARA, RAIPUR - 492001

With best Compliments from

Surendra Singh

SERVICE IS OUR MAXIM

SPARES

The Offset Engineers

WEB CARE MEN

Deals in:
SPARE PARTS FOR WEB OFFSET PRINTING MACHINE

CB-27B, DDA FLATS, HARI NAGAR
NEW DELHI - 110 064
PHONE : 5419088, 5508726 FAX : 5405758

Reptd By :- ☎ 5737111

D.H. ENGINEERING WORKS

Manufacturers of:

Spare for Offset Machines of All Make
Specialist in : Repair of Vacuum Pump, Tecko Swing gripper, Feeder, Cylinders & Sidelay of all Offset Machines
Office Factory :

4/40, Gali No. 4-U 4/27,
Anand Parbat Indl Area,
New Delhi-5

Gali No. 4-N,
Anand Parbat Indl. Area
New Delhi-5

Greetings to

4th World Conference of Women - Beijing

from

Maharashtra Rajya Trade Union Council, Bombay

Greetings to

4th World Conference of Women - Beijing

from

Petroleum Worker's Union, Bombay

GOOD TASTE FROM GOOD LIVING

ALWAYS INSIST ON

MAGFRUIT PRODUCTS

THEY ARE THE BEST AND EXPORT QUALITY
MANUFACTURED
FROM
THE FRESH FRUITS OF THE GARDENS
OF MANIPUR
PREPARED UNDER
THE BEST HYGIENIC CONDITIONS
AND TESTED FROM QUALITY

INFORMATION UNIT
DEPARTMENT OF HORTICULTURE
AND SOIL CONSERVATION
MANIPUR

PLANT AND PROTECT TREES

CLOTH BARREN LANDS WITH LUSTY VEGETATION

SAVE FOREST FOR POSTERITY

Protect Wild Life and its Habitat
For The Right To Live is theirs too.

PAY A VISIT TO

Keibul lamjao National Park
The only Floating National Park in the World
Where the Dancing Deer Sangai awaits
YOU WITH ITS SERENE BEAUTY.

For more details please contact :

The Principal Chief Conservation of Forests or
The Chief Wildlife Warden
Government of Manipur, Imphal
Tel. No 220165/220854

AHUJASONS SURGICALS

FOR
IMPLANTS AND PROSTHESIS, JOINT REPLACEMENTS
EXTERNAL FIXATORS

INTERLOCKING NAIL SYSTEM

SURGICAL AND ORTHOPAEDIC
INSTRUMENTS REHABILITATION AIDS
AUTH DEALERS FOR

INOR
ORTHOPAEDICS

zimmer

SHOP NO. 22, SAROJINI MARKET
NEW DELHI - 110 023
PHONES : 607685, 678852 FAX : 91-11-6112266

With The Best Compliments

FROM

Vinay Trading Company

BANGALORE

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

ALL INDIA BANK EMPLOYEES ASSOCIATION

CENTRAL OFFICE

3-B LALL BAZAR STREET (1st Floor), CALCUTTA 700 001

Phone : 2489371 Fax : 2486072 Telex : 021-7427 FLAG IN Gram : "PARVANA"

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

All India Andhra Bank Award Employees Union

(AFFILIATED TO A.I.B.E.A.)

506, Vth Floor, Taramandal Complex, Saifabad,
HYDERABAD - 500004

With Best Compliments

From

Canara Bank Employees' Union

(Regd.)

(Affiliated to All India Bank Employees' Association)

A.K.NAYAK BHAVAN (II Floor)
14, SECOND LINE BEACH, MADRAS - 600 001

With Best Compliments from

The Kerala Construction Components Limited

(A Government of Kerala Undertaking)

(Mfrs: of Sandlime Bricks/Fly Ash Bricks)

K.R.Puram P.O., Cherthala

Phone : 812302 - Cherthala
: 552231 - Pallippuram
Gram : "SANDBRICKS"

With Best Compliments From

GRINDLAYS BANK EMPLOYEES UNION

(Delhi)

M.C.Tuli **President**	**Rama Nand** **General Secretary**	**G.P.Rustogi** **Treasure**

With Best Compliments

from

Central Bank Workers' Union

C.M.Puri
General Secretary

Perfect Relations

The Image Management Advisory

2/9B, Jangpura B, New Delhi - 110 014
Tel : (91-11) 463 3949, 462 4261
Fax : 463 5979, Voice mail : 376 1929
email (internet) : image, perfect @ axcess. net in

There's something very Indian about a bank that puts a smile on every face.

Indian Bank-The People's Bank. Since 1907.

More than the milestones,
more than the achievements,
there's something every
Indian Bank Customer takes pride in –
the bank's commitment to the society.

Enter the world of Banking. With
Indian Bank. A world that brings
quality to life in India's heartland. As
well as in industrialized India.

From rural development to
international banking, Indian Bank is a
social movement across borders.
Reaching out, creating goodwill. And
opening up a world of personalised
banking. Indian Bank. Moulding lives.
Shaping futures.

Indian Bank

H.O. 31, Rajaji Road, Madras - 600 001

A tradition in banking – Distinctly different.

GENERAL INFORMATION TO ALL THE FARMERS OF MANIPUR

FOR THE GENERAL INFORMATION OF THE FARMERS STAYING ADJOINING TO THE R.L.I SCHEMES/TUBE WELLS, IRRIGATION FACILITIES ARE AVAILABLE FOR GROWING FIRST CROP OF PADDY, RABI AND KHARIF CROPS. AS SUCH TO BOOST UP FOOD PRODUCTION IN MANIPUR FARMERS ARE REQUESTED TO AVAIL THE IRRIGATION FACILITIES FROM R.L.I. SCHEME/TUBE WELLS AND DIVERSION SCHEMES. IT IS ALSO AFFIRMED THAT ASSURED IRRIGATION WILL BE PROVIDED DURING THE BASE PERIOD OF CROPS.

MINOR IRRIGATION
DEPARTMENT
MANIPUR

86/0008

SOUVENIR

Working Women's Convention

19-20, Aug, 1995

A.I.T.U.C.

March for Better Morrow
Build Trade Unions